yojnaias.com

Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

फ़रवरी 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

11/02/2024 से 18/02/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत में महिलाओं का कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाम : महिला आरक्षण विधेयक अधिनियम 2023	1 - 10
2.	लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन	10 - 16
3.	भारत – संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संबंध	16 - 23
4.	भारतीय कृषि : वर्तमान समस्या और दीर्घकालीन समाधान	23 - 30
5.	चुनावी बॉण्ड योजना बनाम : सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन	30 - 37
6.	भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आवश्यक औषधियाँ : नए अनुसंधान की जरूरत	37 - 43

करंट अफेयर्स
फ़रवरी 2024

भारत में महिलाओं का कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाम : महिला आरक्षण विधेयक अधिनियम 2023

Yojna IAS

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय , भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिला आरक्षण विधेयक 2023

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय संसद द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक अधिनियम, 2023 के पारित होने के बाद और भारत के मुख्य धारा की राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदार सुनिश्चित तय हो जाने के बाद ही यह बहस खत्म हो गई है कि क्या राजनीतिक दलों के भीतर या संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान करने से भारतीय राजनीती में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है।
- भारत के संविधान में 106वाँ संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक अधिनियम, 2023, विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

- राजस्थान विधान सभा के 200 सदस्यों में से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर के निधन के बाद 199 सदस्यों को चुनने के लिए 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में विधान सभा चुनाव हुए। जिनका मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा दिनांक 3 दिसंबर 2023 को हुआ है। शेष 1 सीट के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार राजस्थान में 74.13% मतदान दर्ज किया गया है।
- राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों ने दिखाया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का एकमात्र तरीका उन्हें संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान करना है। चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों की महिला उम्मीदवारों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है।
- राजस्थान विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट वितरण पर सभी ने प्रकाश डाला और आलोचना की। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा ने 20 महिला उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा, जिनमें से मात्र 9 महिला उम्मीदवार ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाई। भाजपा की महिला उम्मीदवारों की सफलता दर 45% रही, जो भारतीय जनता पार्टी के पुरुष उम्मीदवारों की सफलता दर से बहुत कम थी
- राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले 179 पुरुष उम्मीदवारों अर्थात कुल 60% पुरुष उम्मीदवारों में से 106 पुरुष उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज की है ।

महिला आरक्षण विधेयक 2023 द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन :

- अनुच्छेद 330 (A): विधेयक में अनुच्छेद 330 (A) को सम्मिलित किया गया है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण पर अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से प्रेरित है।
- अनुच्छेद 332 (A): महिला आरक्षण विधेयक द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 239 (AA) में संशोधन: विधेयक में यह जोड़ा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया यह कानून अनुच्छेद 239AA (2)(B) दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर भी लागू होगा।

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 की प्रमुख विशेषताएँ :

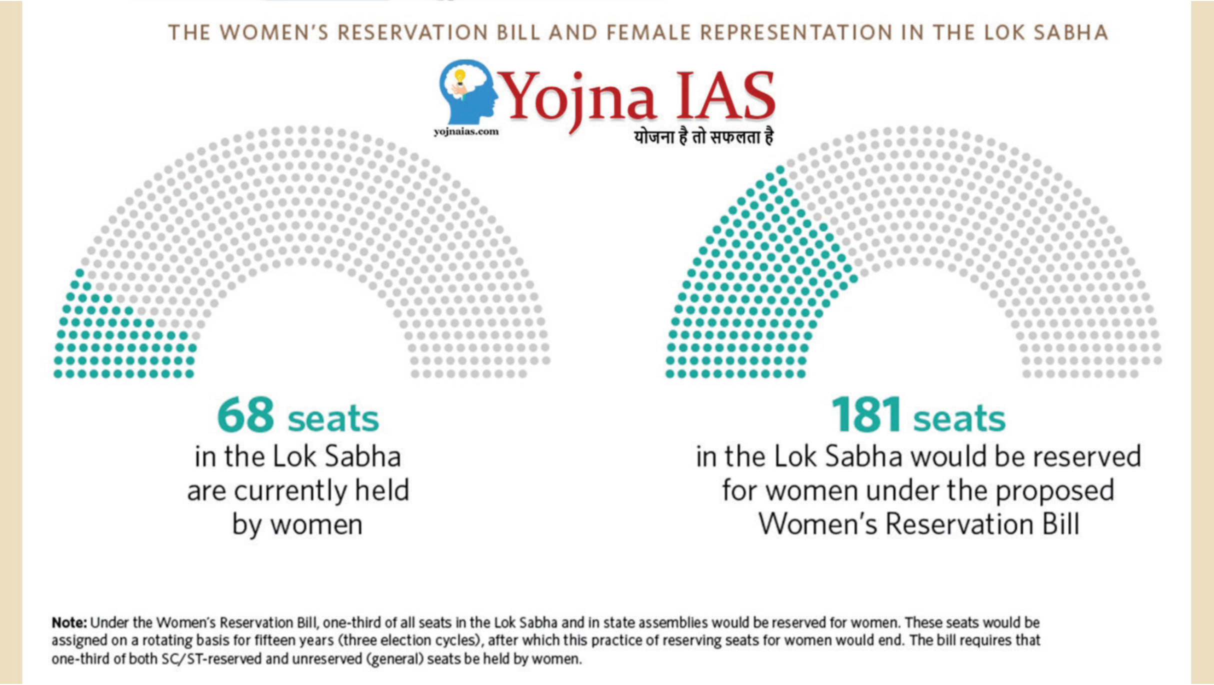

- महिला आरक्षण विधेयक 2023 का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना है।
- यह अधिनियम आरक्षित सीटों में से महिलाओं के लिए सीटें भी आरक्षित करेगा। आरक्षित सीटों का आवंटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों में भी महिलाओं के लिये भी एक तिहाई सीटें आरक्षित करेगा।
- भारत के विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी।
- **आरक्षण की अवधि:** यह अधिनियम प्रारंभ होने की तारीख से मात्र 15 वर्षों तक लागू ही रहेगा।

राजनीति में लैंगिक असमानता की पृष्ठभूमि :

- **महिलाओं का राजनीतिक में ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहना :** महिलाएं, जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा (49.58 प्रतिशत) हैं, ऐतिहासिक रूप से विकसित और विकासशील दोनों देशों में राजनीतिक रूप से हाशिए पर रही हैं।
- **19 वीं सदी में शुरू हुए सामाजिक सुधार :** 19 वीं सदी के मध्य से शुरू हुए, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में व्यापक सुधार लाने का न केवल प्रयास किया बल्कि इन आंदोलनों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सफल भी रहे।
- **1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर :** सन 1945 में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) का चार्टर महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करता है ।
- **महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक:** 1960 और 70 के दशक के नारीवादी आंदोलनों के उदय के साथ, 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW) को अपनाया, जिसे अक्सर एक अंतर्राष्ट्रीय विधेयक माना जाता है। यह सम्मेलन के अनुच्छेद 7

में महिलाओं के अधिकार एवं महिलाओं के राजनीतिक और सार्वजनिक पद पर आसीन होने के अधिकार को शामिल किया गया है।

- **सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) :** सन 2000 में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सहस्राब्दी घोषणा को अपनाया और सन 2015 तक इसे प्राप्त करने के लिए आठ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) की रूपरेखा तैयार किया था , जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल किया गया था।
- **सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत लैंगिक समानता हासिल करना महिलाओं को सशक्त बनाना :** जनवरी 2016 में17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत को महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर नेतृत्व के लिए भागीदारी और समान अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया था, जिनमें से लक्ष्य 5 का लक्ष्य **"लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना"** है, जिससे **"महिलाओं के लिए पूर्ण और प्रभावी"** अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

विश्व राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति :

- **औसत से अधिक प्रतिनिधित्व:** अमेरिका, यूरोप और उप – सहारा अफ्रीका में महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत से ऊपर या अधिक है।
- **औसत से कम प्रतिनिधित्व :** एशिया, प्रशांत क्षेत्र और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) में , महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व औसत से भी कम हैं।
- **राजनीति में वैश्विक स्तर पर औसत महिला प्रतिनिधित्व:** विभिन्न देशों के राष्ट्रीय संसदों में मई 2022 तक, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत 26.2 प्रतिशत था।
- **एशियाई देशों में विविध प्रतिनिधित्व:** दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति अन्य की तुलना में बदतर है। मई 2022 का आईपीयू डेटा बताता है कि नेपाल की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 34 प्रतिशत, बांग्लादेश में 21 प्रतिशत, पाकिस्तान में 20 प्रतिशत, भूटान में 17 प्रतिशत और श्रीलंका में 5 प्रतिशत था।
- भारत के लोकसभा (निचले सदन) में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत से भी थोड़ा कम रहा है ।
- 2021 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान की पिछली संसद में महिला प्रतिनिधित्व 27 प्रतिशत था।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सितंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के कुल 193 देशों में से 28 देशों में 30 महिलाएं राज्य और/या सरकार के निर्वाचित प्रमुख के रूप में कार्यरत थीं।
- **सक्रिय भागीदारी में विरोधाभास:** चुनावों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में मतदाताओं के रूप में महिलाओं

की भागीदारी में तेजी से वृद्धि और संसद में महिला प्रतिनिधित्व की धीमी वृद्धि के बीच विरोधाभास है।

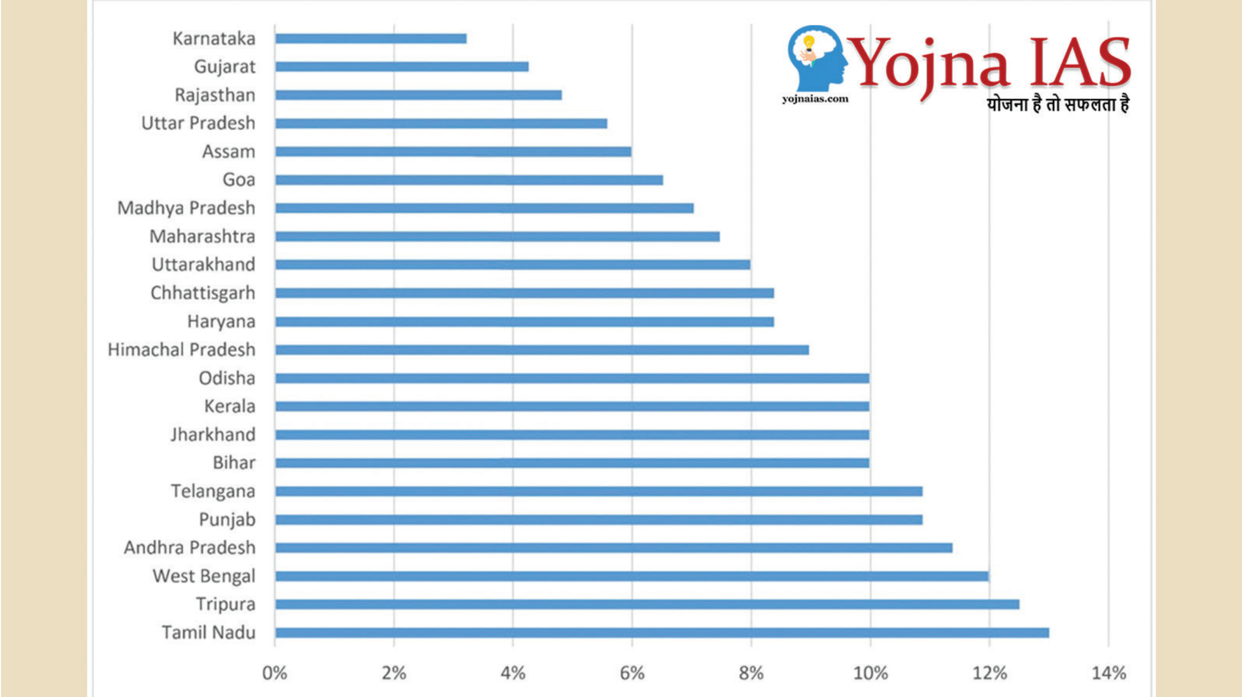

राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी में भारत की महिलाओं की विकास यात्रा :

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की स्थिति : भारतीय समाज की वास्तविक संरचना पितृसत्तात्मक प्रकृति पर आधारित है। अतः भारत में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं और पुरुषवादी सोच या मानसिकता के कारण महिलाओं के हाशिए पर रहने, उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करने के साथ – ही – साथ उनके साथ शोषण करने का इतिहास जुड़ा रहा है।

महिलाओं का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी: बंगाल में स्वदेशी से शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन (1905-08) में महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी भी देखी गई, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में राज-नीतिक प्रदर्शनों में शामिल होकर न केवल अनेक राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में संसाधन जुटाए और साथ – ही – साथ उनमें नेतृत्व की स्थिति भी संभाली थी ।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी : स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को (जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं) सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान स्थिति की गारंटी प्रदान की।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटीकृत समानता: भारतीय संविधान का भाग ।।। पुरुषों और महिलाओं अर्थात सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में समानता की गारंटी प्रदान करता है।

भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत : भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, काम की मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत प्रदान करके आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं।

कोई भी भारतीय नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है और 25 वर्ष से अधिक का है, संसद के निचले सदन (लोकसभा) या राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव लड़ सकता है; उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

राजनीतिक समानता : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक

समानता और अपना मत (वोट) देने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।

पंचायती और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण : सन 1992 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या में से एक-तिहाई आरक्षण देने और महिलाओं के लिए एक – तिहाई सीट आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

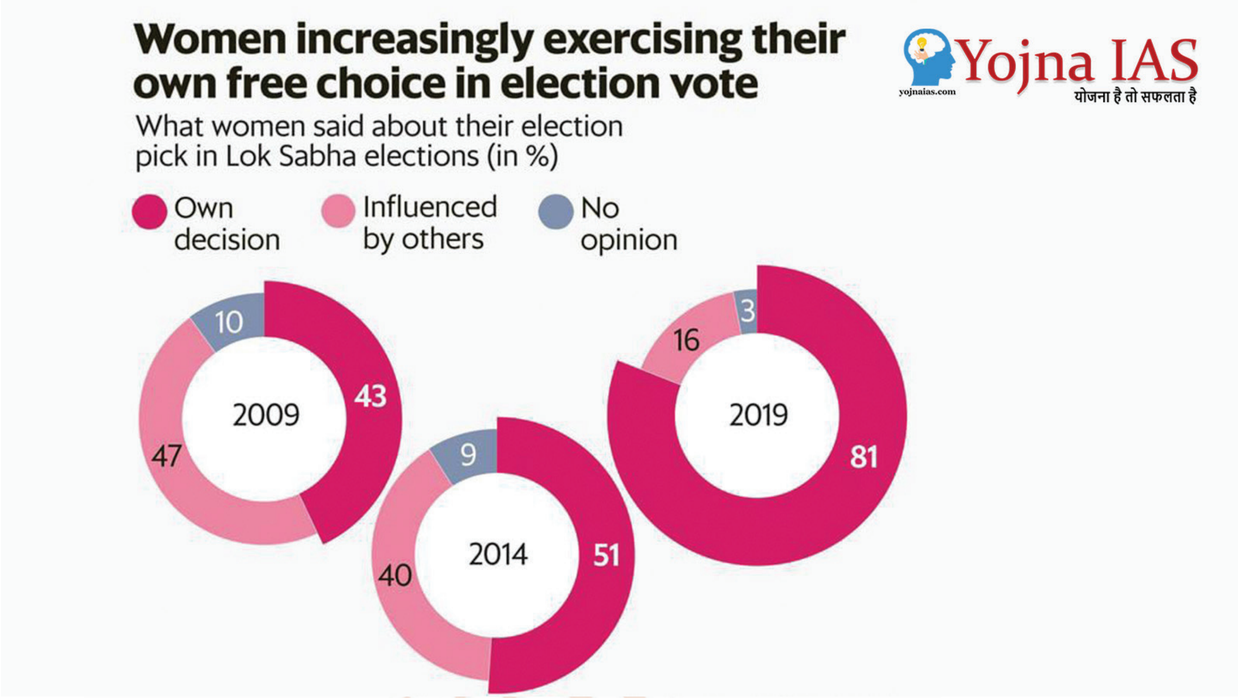

भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष भागीदारी का आकलन करने के प्रमुख घटक :

भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष भागीदारी का आकलन करने के मुख्य मानदंड या प्रमुख घटक निम्नलिखित है –

- **मतदाता के रूप में महिलाएँ:** वर्ष 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने लगभग पुरुषों के बराबर ही मतदान किया था, जिसे भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा और भारत की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा गया था। इसको भारत की राजनीति में महिलाओं के **"आत्म-सशक्तीकरण की मूक क्रांति"** भी कहा गया। विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद से महिलाओं की लोकतंत्र और भारत की मुख्य धारा की राजनीति में बढ़ी हुई भागीदारी, कई कारकों के कारण जिम्मेदार है।

- **उम्मीदवार के रूप में महिलाएँ:** भारत में बदलते समय के साथ संसदीय चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में उनका अनुपात अभी भी बहुत कम ही है। वर्ष 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कुल 8,049 उम्मीदवारों में से मात्र 9 प्रतिशत से भी कम महिला उम्मीदवारों ने ही लोकसभा चुनाव लड़ी थीं।

- **भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में हाल के वर्षों के चुनावों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला प्रतिनिधियों का अनुपात उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत ही कम रहा है।

- लोकसभा में अब तक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात 2019 के चुनावों में उच्चतम था, और यह कुल सांसदों के अनुपात में 15 प्रतिशत से भी कम था।

- महिला उम्मीदवारों और सांसदों की संख्या अलग-अलग राज्यों और अलग – अलग पार्टियों में काफी भिन्न-भिन्न होता है।

- वर्तमान लोकसभा (17 वीं) में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है। प्रतिशत के संदर्भ में, गोवा और मणिपुर ने सबसे अधिक अनुपात में महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था।

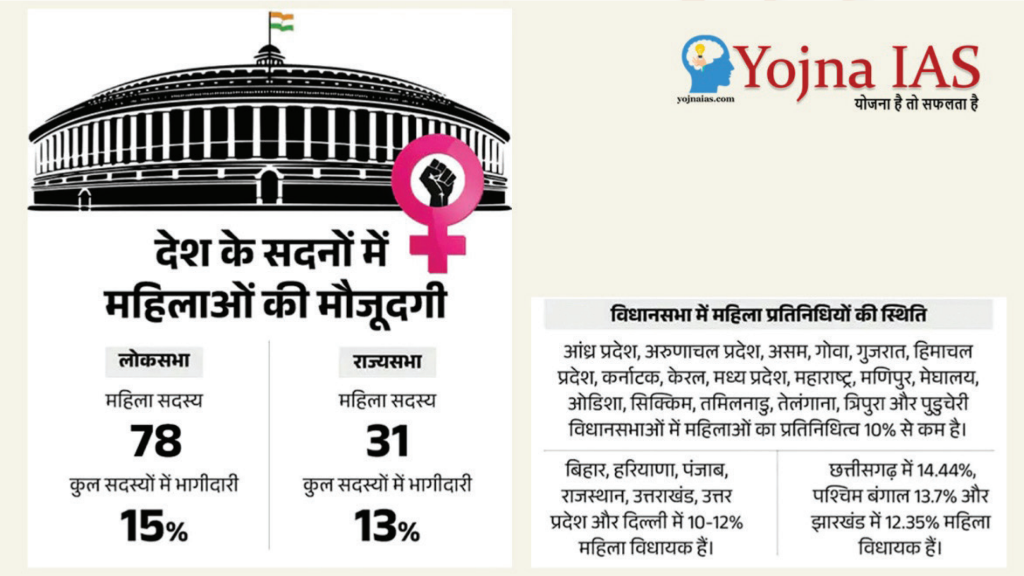

संसद और राज्य विधानमंडलों में महिला प्रतिनिधित्व के कम रहने का प्रमुख कारण:

- **पारिवारिक – राजनीतिक संबंधों या संस्थानों की दुर्गमता :** भारत के अधिकांश राजनीतिक दल, सैद्धांतिक रूप से भले ही अपने पार्टी के संविधान में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने का वादा तो करते हैं, किन्तु व्यवहार में भारत की राजनीतिक पार्टियाँ महिला उम्मीदवारों को बहुत कम टिकट देते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जिन्हें पार्टी का टिकट मिलता है, उनके परिवार का **पारिवारिक – राजनीतिक संबंध** हैं, या वे '**वंशवादी**' राजनेता हैं। मुख्यधारा की राजनीति में पहुंच के सामान्य मार्ग सीमित होने के कारण, ऐसे राजनीतिक संबंध अक्सर महिलाओं के लिए प्रवेश बिंदु होते हैं।

- **भारत में चुनाव में महिलाओं के चुनाव जीतने की संभावना कम होने की धारणा :** भारत के राजनीतिक गलियारों में वर्तमान समय में भी यह व्यापक रूप से माना जाता है कि पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों का में चुनाव जीतने की संभावना बहुत ही कम होती है। परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दल महिलाओं को चुनावों में कम टिकट प्रदान करते हैं।

- **चुनौतीपूर्ण संरचनात्मक स्थितियाँ :** भारत में चुनाव अभियान अत्यधिक मांग और समय लेने वाला है। पारिवा-

रिक प्रतिबद्धताओं और बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के साथ महिला राजनेताओं को अक्सर पूरी तरह से भाग लेने में कठिनाई होती है।

- **महिलाओं के लिए अति असुरक्षित माहौल :** महिला राजनेताओं को लगातार अपमान, अनुचित टिप्पणियों, दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार की धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे भागीदारी और चुनाव लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- **चुनाव – प्रणाली का महंगा एवं खर्चीला होना :** भारत में चुनाव – प्रणाली अत्यंत महंगा और खर्चीला होता है। फलतः भारत में चुनाव में वित्त पोषण भी एक प्रमुख बाधा है क्योंकि कई महिलाएँ आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं। संसदीय चुनाव लड़ना बेहद महंगा हो सकता है, और एक मजबूत प्रतियोगिता लड़ने में सक्षम होने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। अपनी पार्टियों से पर्याप्त समर्थन के अभाव में, महिला उम्मीदवारों को अपने अभियान के वित्तपोषण की व्यवस्था स्वयं करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह एक बड़ी चुनौती है जो उनकी भागीदारी को रोकती है।

- **आंतरिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था :** भारतीय समाजों 'आंतरिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था ' के रूप में जाना जाता है, जहां कई महिलाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बजाय परिवार और घर को प्राथमिकता देना अपना कर्तव्य मानती हैं।

कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का महत्त्व :

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : विधायी प्रतिनिधित्व राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए मौलिक है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम बनाता है। विधायिकाएँ शासन के विभिन्न पहलुओं पर बहस और चर्चाएँ बढ़ाने और सरकार से जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

लैंगिक समानता के लिए : भारत की संसद में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में संसदीय राजनीति में लैंगिक समानता की सीमा का एक प्रमुख संकेतक है।

महिलाएं राजनीति में विविधता लाने और कौशल के लिए : राजनीतिक वैज्ञानिक ऐनी के अनुसार, "महिलाएं राजनीति में विभिन्न कौशल लाती हैं और भावी पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल प्रदान करती हैं; वे लिंगों के बीच न्याय की अपील करते हैं।

महिलाओं के विशिष्ट हितों और नीति – निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए : भारतीय राजनीति में महिलाओं का समावेश राज्य की नीति – निर्माण में महिलाओं के विशिष्ट हितों के प्रतिनिधित्व को सुविधाजनक बनाता है और एक पुनर्जीवित लोकतंत्र के लिए स्थितियां बनाता है जो प्रतिनिधित्व और भागीदारी के बीच के अंतर को पाटता है।

आपराधिक और भ्रष्ट होने की संभावना कम और अत्यधिक प्रभावी : एक अध्ययन में पाया गया कि, महिला विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में आर्थिक संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं ।

इसके साथ – ही – साथ महिला विधायकों के आपराधिक और भ्रष्ट होने की संभावना कम होती है। वे अधिक प्रभाव-शाली होती हैं और राजनीतिक अवसरवाद के प्रति कम संवेदनशील होती हैं।

निष्कर्ष / समाधान :

- भारतीय संसदीय राजनीति में महिलाओं को स्थान देने की दिशा में जैविक बदलाव धीमा रहा है। शासन और नीति-निर्माण पर चर्चा को बदलने और भारत को वास्तव में समावेशी और प्रतिनिधि लोकतंत्र बनने के करीब लाने के लिए इन प्लेटफार्मों पर अधिक महिलाओं की प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता है।
- एक लोकतांत्रिक देश की राजनीति में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अत्यंत आवश्यक है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे लचीले संसदीय लोकतंत्रों में से एक है। भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतरोत्तर बेहतर हुआ है। यह देश में लैंगिक असमानताओं को पाटने में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक और संकेतक है।
- वर्तमान समय में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा प्रदान करना उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का एकमात्र तरीका प्रतीत होता है।
- भारत में पितृसत्तात्मक मानसिकता के बावजूद भी , देश में शिक्षा के उच्च स्तर और बढ़ती वित्तीय स्वतंत्रता के समानांतर, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि देखी जा रही है।
- संसदीय और राज्य विधान सभा चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या सीमित है।
- जिस राज्य या जिस राजनीतिक दल में भी जहां कहीं भी स्थानीय स्वशासन स्तर पर महिलाओं के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा है।
- भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी संसदीय और विधायी चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं के लिए राजनी-तिक दल, चुनावी राजनीति का प्राथमिक साधन, आदि काफी हद तक दुर्गम और कठिन हैं।
- प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि वह प्रत्येक चुनाव में वितरित पार्टी टिकटों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं को दे। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करना होगा।
- भारत में राजनीतिक पार्टियों के लिए यदि पार्टी-स्तर पर सुधार मुश्किल साबित होता है, तो महिला आरक्षण विधेयक 2008 को पुनर्जीवित करना होगा और नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक अधिनि-यम, 2023 का पालन करना होगा, जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई संसदीय और राज्य विधानसभा सीटों का आरक्षण अनिवार्य है।

प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में महिलाओं का कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) की रूपरेखा तैयार किया था , जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल किया गया था।
2. भारतीय समाज की वास्तविक संरचना पितृसत्तात्मक प्रकृति पर आधारित नहीं है, बल्कि भारत में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है ।
3. भारत में मुख्यधारा की राजनीति में महिलाओं के पहुंच के सामान्य मार्ग सीमित होते हैं। इसलिए अक्सर 'वंशवादी' महिलाएं ही राजनीति में प्रवेश कर पाती हैं।
4. महिला आरक्षण विधेयक 2023 का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सभी सीटों

में से दो -तिहाई सीटें आरक्षित करना है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 4

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1, 2 और 4

(D) केवल 1 और 3

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में महिलाओं का कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 किस प्रकार 'पितृसत्तात्मक की गांठों' को खोलता है या यह अवसर की समानता का हनन करता है ? तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।

लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय , संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट 2023, वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण।

ख़बरों में क्यों ?

- 15-19 जनवरी, 2024 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत द्वारा 'वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन- लैंगिक समानता के लिए सहयोग (एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी) ' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की समावेशी और उल्लेखनीय विकास गाथा में **"महिला नेतृत्व वाला विकास"** के एजेंडा की सराहना के साथ ही **"सबका साथ, सबका विकास"** के दर्शन के लिए भारत सरकार की प्रशंसा किया है।

ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी और समानता गठबंधन के बारे में :

- भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया पहल "महिला नेतृत्व वाला विकास" का एजेंडा विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2024 में विश्व स्तर पर समर्थित रहा है, जिसे डब्ल्यूईफ विश्व भर के 10,000 से अधिक व्यवसायों का प्रतिबद्ध समर्थन प्राप्त है।
- वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में, भारत ने **"वसुधैव कुटुंबकम"** भावना से भाग लिया, जो डब्ल्यूईएफ के व्यापक विषय (थीम) **"विश्वास का पुनर्निर्माण (रीबिल्डिंग ट्रस्ट)"** के साथ जुड़ते हुए वैश्विक सहयोग द्वारा चिह्नित एक साझा भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है।
- डब्ल्यूईएफ 2024 में, भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व **केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, केन्द्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव,, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड – डीपीआईआईटी)** के सचिव श्री **आर के सिंह** और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिका-रियों ने भाग लिया लिया।
- इस फोरम की बैठक में डब्ल्यूईएफ और भारत सरकार के समर्थन और सहयोग के साथ **"लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन ('एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी')"** के शुभारंभ की घोषणा की।
- इस गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा करते हुए श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा – **"एक ऐसे स्थान पर जहां धन के प्रवाह के साथ केवल राजनीति की ही बात होती है, वहां हम इस शानदार गठ्बन्धन (ग्रैंड अलायंस) में उद्योग, उद्यम और मानवता के सर्वश्रेष्ठ को एक साथ लाने में सक्षम रहे।"**
- इस गठबंधन को मास्टरकार्ड, उबर, टाटा, टीवीएस, बायर, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईएमडी लॉज़ेन और उद्योग जगत के 10,000 से अधिक भागीदारों सहित उद्योग जगत के नेताओं से समर्थन प्राप्त हुआ है।
- इस गठबंधन का आयोजन और संचालन सीआईआई सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित आधार पर किया गया था।
- इस गठबंधन में विश्व आर्थिक मंच एक 'नेटवर्क भागीदार' के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया एक 'संस्थागत भागीदार' के रूप में शामिल हुआ है।
- भारत की स्थायी प्रतिबद्धता **'वसुधैव कुटुंबकम'** के तहत **'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'** के लिए **"सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास"** के प्रति इसके निरंतर प्रयासों को देखते हुए **" लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन ('एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी')** लिंग संबंधी सभी मुद्दों को निश्चित रूप से ही मजबूती से आगे बढ़ाएगा।
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के नेतृत्व में डब्ल्यूईएफ में इस वर्ष की अनूठी पहल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) द्वारा पहली बार महिला नेतृत्व लाउंज (वी लीड लाउंज) थी।

- इस लाउंज ने "महिला नेतृत्व वाले विकास" और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल लिंग अंतर को पाटने, महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने आदि विषयों पर विभिन्न पैनल चर्चाओं और बैठकों की मेजबानी की गई थी ।

- "वी लीड" लाउंज में महिलाओं द्वारा संचालित वैश्विक समृद्धि के लिए महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और चाय एवं कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया।

- श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के इस वार्षिक बैठक के आठ सत्रों में भाग लिया। जिनमें **'वैश्विक प्रणालियों में विश्वास बहाल करना', 'ब्रिक्स इन एक्सपेंशन', 'कैन इंडिया सीज़ इट्स मोमेंट' और 'कंट्री स्ट्रेटेजी डायलॉग ऑन इंडिया'** शामिल हैं। इन सत्रों में उनके सार्थक हस्तक्षेप ने लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर विशेष जोर देने के साथ भारत सरकार की नीतियों और पहलों पर बैठक में शामिल सभी देशों का ध्यान केंद्रित किया।

- डब्ल्यूईएफ के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने विश्व भर के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने बहरीन के सतत विकास मंत्री महामहिम नूर अली अलखुलैफ़, नीदरलैंड की उप प्रधानमंत्री और सामाजिक मामलों और रोजगार मंत्री महामहिम श्रीमती करियन वैन गेनिप और महामहिम सुश्री कैरोलिन एड-स्टैडलर, ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलरी गणराज्य, यूरोपीय संघ और संविधान की संघीय मंत्री, महामहिम सुश्री कैरोलिन एडस्टैडलर, के साथ परस्पर हितों और संभावित सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की।

विश्व आर्थिक मंच :

- विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

- विश्व आर्थिक मंच वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाने वाला या प्रकाशित होने वाला कुछ प्रमुख रिपोर्ट :

1. **वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक**
2. **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट**
3. **वैश्विक आईटी रिपोर्ट(INSEAD और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रिपोर्ट)**

4. वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक रिपोर्ट

5. वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र महिला :

- सन 2010 में दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों और अधिकारों को पूरा करने में प्रगति में तेजी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला की स्थापना की गई थी
- संयुक्त राष्ट्र महिला संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का समर्थन करती है क्योंकि वे लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करते हैं और महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाले कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए सरकारों और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महिला चार प्रमुख रणनीतियों **महिलाओं का नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना, और शांति, सुरक्षा और मानवीय कार्रवाई** जैसे रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है।

भारत द्वारा लैंगिक अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया पहल :

भारत द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लिंग अंतर को कम करने के लिए शुरू किए गए कुछ प्रमुख पहल निम्नलिखित है –

महिला शक्ति केंद्र: भारत सरकार द्वारा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है , जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास में वृद्धि कर और उन्हें रोजगार के अवसरों के साथ जोड़कर सशक्त बनाना है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: भारत में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (ईबीबी) में स्थापित कर इसे प्रारभ किया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना : भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के द्वारा लड़कियों का बैंकों में खाता खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

महिला उद्यमिता: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट (महिला उद्यमियों/एसएचजी/एनजीओ का समर्थन करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसएसडीपी) जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ : भारत सरकार द्वारा ' **बेटी बचाओ – बेटी पढाओ** ' कार्यक्रम की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य देश में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि करना तथा बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व और शिक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय महिला कोष: भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन के माध्यम से गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका के साधनों को मुहैया कराना और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती दर और शर्त पर ऋण प्रदान करना है।

राजनीतिक आरक्षण : सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें आरक्षित की हैं।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण करना : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

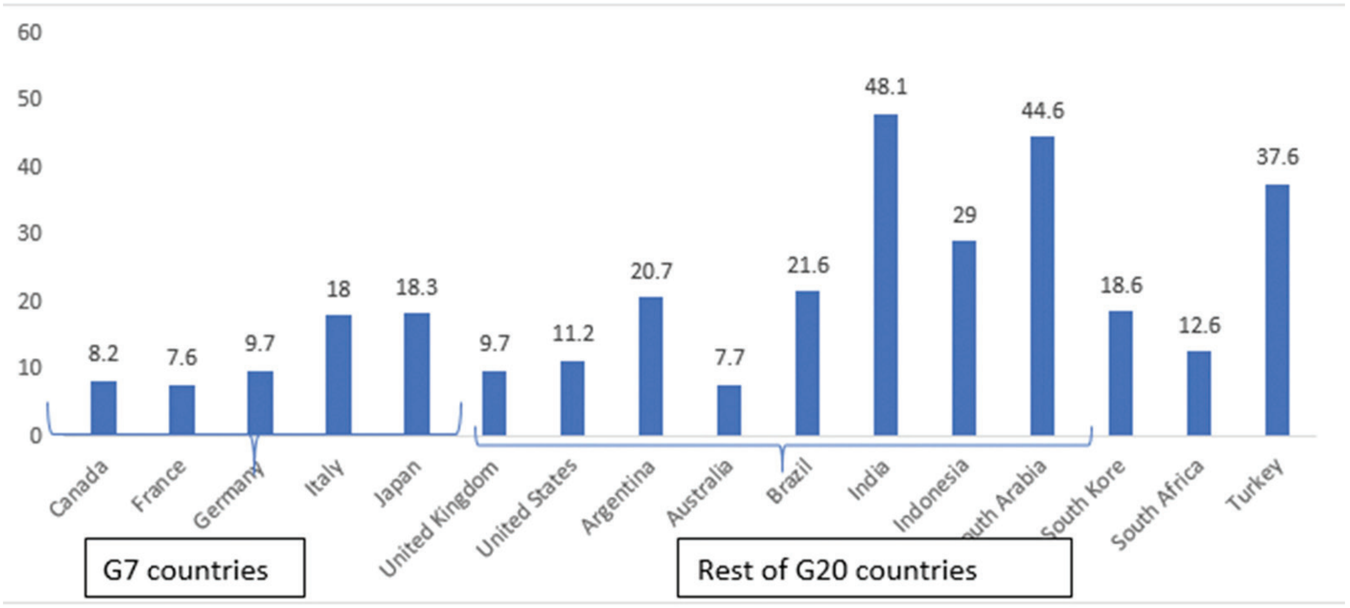

निष्कर्ष / समाधान :

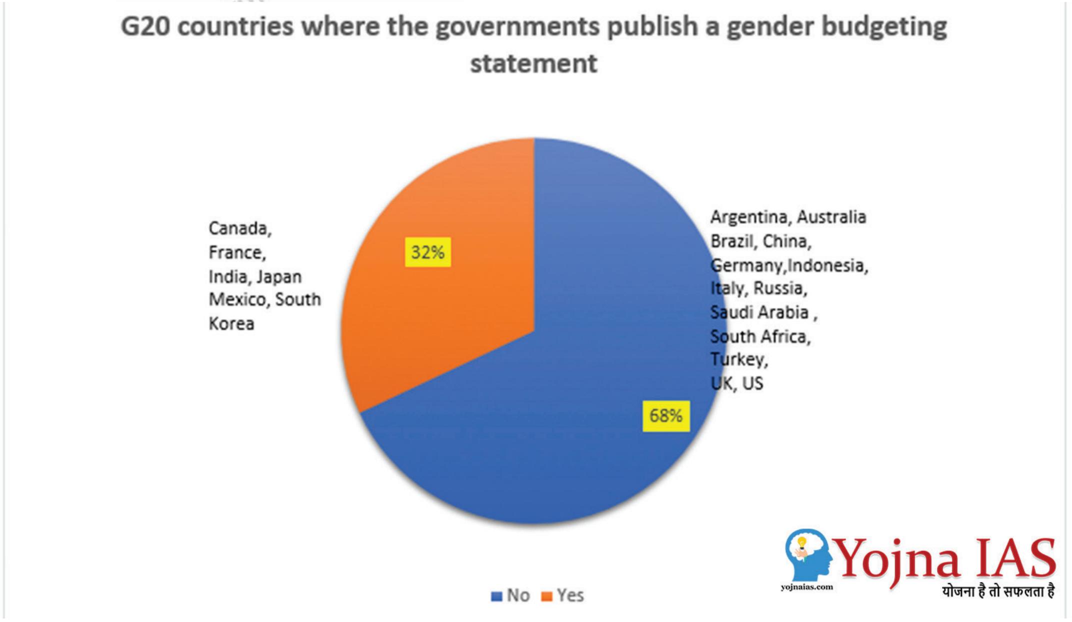

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2023 के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार देखने को मिला है। हालांकि इसके बावजूद भारत अब भी दुनियाभर के देशों से काफी पीछे है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में इस बार आठ अंकों का सुधार होने के बावजूद भी दुनियाभर के 146 देशों में भारत की रैंकिंग 127वें स्थान पर है।वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 की रिपोर्ट में कुल 146 देशों में भारत की रैंकिंग 135 थी।
- लैंगिक समानता के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश की रैंकिंग भारत से काफी बेहतर है। जिसमें बांग्लादेश को 59वीं, चीन को 107वीं, नेपाल को 116वीं, भूटान को 103वीं और श्रीलंका को 115वीं रैंक मिली है. वहीं पाकिस्तान को 142वीं रैंक पर रखा गया है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर के देशों में सबसे बेहतर प्रदर्शन आइसलैंड का रहा है, जिसने लगातार 14वें साल में 90 प्रतिशत से ज्यादा लिंग अंतर को कम किया है।
- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वेतन और आय के मामले में समानता में बढ़ोतरी हुई है, जबकि बड़े पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है। वहीं राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में भारत ने 25.3 प्रतिशत समानता दर्ज की है, जो 2006 में रिपोर्ट आने के बाद से सबसे ज्यादा है।
- दुनियाभर के देशों में मंत्री पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है। दुनिया के 75 देशों में करीब 20 प्रतिशत या उससे कम महिला मंत्री हैं। भारत, तुर्की और चीन जैसे देशों में सात प्रतिशत से भी कम महिला मंत्री हैं, जबकि अजरबैजान, सऊदी अरब और लेबनान जैसे देशों में महिला मंत्रियों की संख्या लगभग शून्य है।

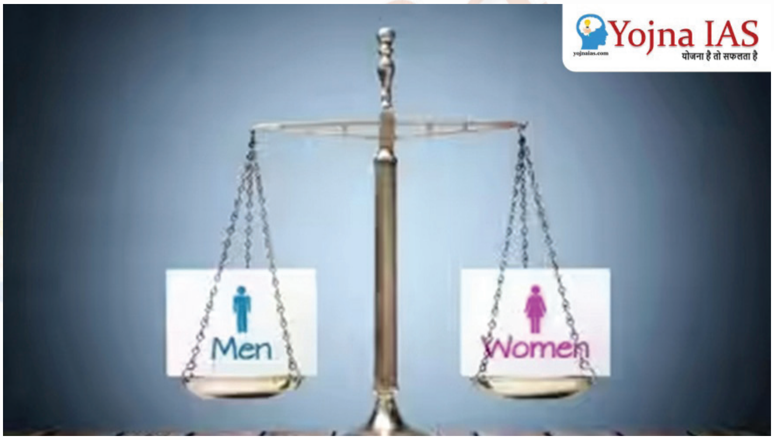

- रिपोर्ट में बताया गया है कि लैंगिक समानता कोविड से पहले वाले स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन इसकी रफ्तार काफी स्थिर और धीमी हो गई है। अब तक दुनिया के किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता को हासिल नहीं किया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग में जो टॉप-9 देश शामिल हैं, उन्होंने लैंगिक असमानता के 80 प्रतिशत अंतर को पाट दिया है। इसके साथ ही रिपोर्ट यह भी बताता है कि दुनिया में लैंगिक अंतर को पाटने में करीब 131 साल लग सकते हैं, वहीं लैंगिक आधारपर आर्थिक समानता के लिए 169 साल और राजनीतिक समानता के लिए 162 साल लग सकते हैं।
- लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन का विचार G-20 नेताओं की घोषणा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता से उभरा है।
- इस नए गठबंधन का प्राथमिक और घोषित उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना , आपस में ज्ञान का साझाकरण करना और निवेश को एक साथ लाना है।

- यह गठबंधन बड़े वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए G20 के नेताओं की प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाएगा, जो कि एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों और G20 ढांचे के तहत व्यवसाय (बिजनेस) G20 महिला और G20 सशक्तिकरण (जी 20 एम्पावर- ईएमपीओडब्ल्यूईआर) पहल के अनुसरण के रूप में होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन का आयोजन विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है।
2. वर्ष 2024 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था।
3. वर्ष 2024 में विश्व आर्थिक मंच का थीम ' विश्वास का पुनर्निर्माण ' था ।
4. इस गठबंधन का आयोजन और संचालन सीआईआई सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया गया था।

उपरोक्त कथन / कथनों में कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) इनमें से कोई नहीं ।

(D) इनमें से सभी ।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन के विभिन्न आयामों की व्याख्या करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में स्त्री – पुरूष की लैंगिक समानता और बराबरी की राह में क्या – क्या बाधाएं है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

भारत – संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संबंध

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के पड़ोसी देश, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA),भारत- संयुक्त अरब अमीरात संबंध, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), मुक्त

व्यापार समझौते (FTA), विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतरिम व्यापार समझौता।

ख़बरों में क्यों?

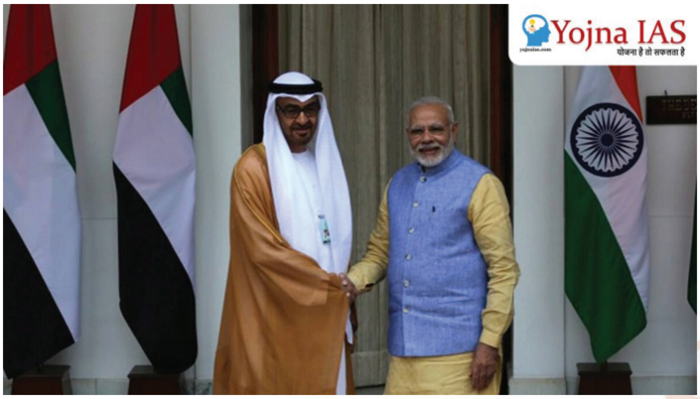

- फरवरी 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा इस दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है कि वह अबू धाबी में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए वहां गए हैं। यह वर्ष 2015 के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री की सातवीं यात्रा है, जो द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ते महत्त्व को दर्शाती है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में **'अहलान मोदी'** कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के करीब 65 हजार लोगों से सीधा संवाद किया। भारत के पीएम मोदी ने कहा- **"समंदर पार, जिस धरती की मिट्टी में आपका जन्म हुआ, उस मिट्टी की खुशबू मैं आप तक लाया हूं। मैं एक संदेश लेकर आया हूं, आपके 140 करोड़ भारतीय भाइयों – बहनों के लिए एक और संदेश कि भारत को आप पर गर्व है।"**

- संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपन-एयर स्टेडियम में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवासी भारतीय सदस्यों ने **'हर हर मोदी, घर-घर मोदी', 'वी लव मोदी'' 'भारत माता की जय', और 'जय श्री राम'** के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया गया।.

- भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पिछले आठ महीनों में तीसरी बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। उन्होंने जुलाई 2023 में द्विपक्षीय यात्रा की थी और उसके बाद नवंबर में **COP28** के लिए यात्रा की थी, जहां उन्हें औपचारिक उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले एकमात्र अतिथि होने का दुर्लभ सम्मान दिया गया था।

- शेख मोहम्मद भी भारत के विशेष आमंत्रित सदस्यों में से एक के रूप में जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए सितंबर 2023 में दिल्ली आए थे।

- जनवरी 2024 में **वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन** में शेख मोहम्मद मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर आए थे।

- वर्तमान समय में जब वैश्विक राजनीति में कूटनीतिक संबंधों को व्यापक रूप से आपसी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच गहरा व्यक्तिगत संबंध भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी पुरानी द्विपक्षीय संबंधों को एक नए संबंध – निर्माण के रूप में वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है।

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह एक ऐसा संबंध है जहां विश्वास और विश्वसनीयता राजनयिक पार-स्परिकता और प्रोटोकॉल से अधिक महत्वपूर्ण है, जहां भारत के सबसे गतिशील और परिणामी द्विपक्षीय संबंधों में से एक की नींव रखने के लिए नियमित बातचीत द्वारा रणनीतिक हितों के अभिसरण को बढ़ावा मिलता है।

- प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 'मोदी मोदी' के नारों के बीच 'अहलान मोदी' कार्यक्रम में शामिल हुए भारतवंशी लोगों का अभिवादन 'नमस्कार' कहकर किया. उन्होंने कहा कि वह भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में इस स्नेह से अभिभूत हैं।

- वर्तमान वैश्विक राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों के सन्दर्भ में भारत और यूएई प्रगति में साझेदार हैं और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का संबंध प्रतिभा, नवाचार और संस्कृति का है।

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **'ऑर्डर ऑफ जायद'** से सम्मानित किया जा चुका है।

- भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की दो दिवसीय यात्रा पर गए हैं। वह 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया ।

भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की वर्तमान यात्रा का महत्व :

- भारत के प्रधान मंत्री की यह वर्तमान यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में **' भव्य हिंदू मंदिर के उद्घाटन'** के लिए धार्मिक कैलेंडर द्वारा निर्धारित किया गया है।

- भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की इस उपस्थिति को एक अनुस्मारक के रूप में भी देखा जा रहा कि अगस्त 2015 में अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व से एक हिन्द मंदिर के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था जो संयुक्त अरब अमीरात के बड़े हिंदू समुदाय की धार्मिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करेगा।

- संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 14 फरवरी 2024 को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा हिन्द मंदिर के उद्घाटन ने संयुक्त अरब अमीरात में 3.5 मिलियन भारतीय लोगों/ भारतीय नागरिकों के बीच उत्साह पैदा किया है इसमें कोई संदेह नहीं है। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में अहलान (स्वागत) मोदी नामक मेगा इवेंट भी आयोजित किया गया था ।

- दुबई में 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन भी शामिल है।

- अक्सर इसे दावोस के दुबई संस्करण के रूप में जाना जाता है, यह एक प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है जो सरकारी नेताओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों, प्रमुख उद्योगपतियों और दुनिया भर के विचारकों को आकर्षित करता है।

- इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय **'भविष्य की सरकारों को आकार देने'** पर है और यह भारत को प्रभावशाली वैश्विक दर्शकों के सामने अपने विचार रखने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध :

- सन 1972 ई. में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था।
- सन 2015 के अगस्त महीने में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्वि-पक्षीय संबंध और एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई थी।
- वर्ष 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की निर्माण की दिशा में कार्य की शुरुआत किया गया।
- इसके तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी द्विपक्षीय संबंधों में **भारत – UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (India – UAE comprehensive Economic partnership agreement)** के लिए वार्ता शुरू करने में गति प्रदान की थी।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंध :

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी द्विपक्षीय संबंधों के तहत भारत और UAE के बीच आपसी आर्थिक साझेदारी बढ़ा है। फलतः वर्ष 2022-23 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापा-रिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी द्विपक्षीय संबंधों के तहत आने वाले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय माल व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करने और सेवा व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

- संयुक्त अरब अमीरात का भारत में निवेश लगभग 11.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो इसे भारत में नौवाँ सबसे बड़ा निवेशक बनाता है, क्योंकि एक व्यापार समझौता दो – तरफा निवेश प्रवाह को भी सक्षम बनाता है।
- भारत की कई कंपनियों ने सीमेंट, भवन निर्माण सामग्री, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त उद्यम के रूप में या विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात में भारत की कई कंपनियों ने पर्यटन, आतिथ्य, खानपान, स्वास्थ्य, खुदरा और शिक्षा क्षेत्रों में भी अपना निवेश किया है।
- मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के भारत की संशोधित रणनीति के तहत, भारत सरकार ने कम से कम छह देशों / क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की है, जिसमें अर्ली हार्वेस्ट डील (या अंतरिम व्यापार समझौते) के लिए संयुक्त अरब अमीरात सूची में शीर्ष पर है। UK, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों का एक समूह कुछ अन्य ऐसे देश / क्षेत्र हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात ने भी इससे पूर्व भारत और सात अन्य देशों (UK, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इज़राइल और केन्या) के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को आगे बढ़ाने की घोषणा की थी।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंध को पुनर्जीवित और मजबूत करना:

- भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दुबई में बहुप्रतीक्षित भारत मार्ट की शुरुआत करने की भी उम्मीद है, जो दुबई स्थित डीपी वर्ल्ड और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल भी है। जिससे भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को खुदरा, भंडारण और सुविधाएं प्रदान करके उनके निर्यात को बढ़ावा देगा।
- दुबई के जेबेल अली फ्री जोन क्षेत्र में रसद सुविधाएं, डीपी वर्ल्ड मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, ऑटो घटकों, चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, परिधान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधनों के भारतीय निर्माताओं को अनुमति देने के लिए और हस्तशिल्प अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और ईरान, मध्य एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में खरीदारों और बाजारों तक पहुंचने के लिए 1.3 मिलियन वर्ग फुट के भूखंड पर अगले 24 महीनों में लगभग 800 शोरूम और 18 गोदामों का निर्माण करेगा। ,
- भारत मार्ट परियोजना महत्वाकांक्षी भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के ठीक बाद आती है, जिसने 2023 में अपना पहला वर्ष पूरा किया और पहले ही यूएई के साथ भारत का व्यापार 16% बढ़कर 85 बिलियन डॉलर हो गया है। इसने भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार और दूसरे सबसे बड़े निर्यात स्थान के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति को मजबूत किया है।

क्षेत्रीय मुद्दे :

- भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच बातचीत से गाजा में चल रहे युद्ध, लाल सागर में नौवहन पर हौथियों के हमलों और स्पष्ट और वर्तमान खतरे के संदर्भ में क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति की समीक्षा भी किया।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक संबंधों में शिपिंग समय लंबे समय तक का वृद्धि, उच्च माल ढुलाई लागत और तेल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है।
- भारत सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ – ही – साथ सऊदी अरब जैसे देशों के साथ निकटता से समन्वय स्थापित करे। इसके साथ – ही – साथ मिस्र को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के हितों की रक्षा की जाए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 'प्रगति में साझेदार' बताया है। पीएम मोदी ने 13 फरवरी 202 4 में अबू धाबी में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतवंशी लोगों को अभिवादन करते हुए दोनों देशों के बीच के रिश्ते को दुनिया के अन्य देशों के लिए आदर्श बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 21वीं सदी के तीसरे दशक में नया इतिहास रच रहे हैं। भारत की कामना है कि हमारी साझेदारी हर दिन मजबूत होती रहे।

निष्कर्ष / समाधान :

- वर्त्तमान समय के वैश्विक राजनीति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) और भारत मार्ट के अनूठे संयोजन से भारत के निर्मित सामानों के निर्यात को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करने की क्षमता है। भले ही राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार शुरू करने के शुरुआती कदम लेनदेन लागत को कम करने का वादा करते हैं। द्विपक्षीय वार्ता में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही ऐसी कई अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ हैं जिनका दोनों पक्ष वैध रूप से श्रेय ले सकते हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी में अपने अंतरिम परिसर में ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता में अपना मास्टर कार्यक्रम शुरू किया है।
- यूएई से बढ़ते निवेश ने इसे 2022-23 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का चौथा सबसे बड़ा स्रोत बना दिया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) जल्द ही GIFT सिटी, गुजरात में एक कार्यालय खोलेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2026-39 के दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से प्रति वर्ष 1.2 मिलियन मीट्रिक टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए 14 साल के समझौते

पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग के कई संवेदनशील क्षेत्रों पर चर्चा और दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अच्छी प्रगति कर रही है।
- संयुक्त अरब अमीरात अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और सातवां सबसे बड़ा निवेशक है।
- आज भारत अनेक मोर्चों पर वैश्विक विमर्श की अगुवाई कर रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देश जीवन सुगमता और व्यापार सुगमता पर साझेदारी कर रहे हैं। आज हर भारतीय का उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसी स्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का आपसी संबंध भारत के आर्थिक विकास में **'मील का पत्थर'** साबित होगा।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात की समुदाय और संस्कृति के संदर्भ में आपस की उपलब्धियां दुनिया के अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में काम कर रही हैं।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों के बीच प्राचीन समय से ही सामुदायिक और सांस्कृतिक संबंधों रहा है।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों 'वक्त की कलम' के साथ 'दुनिया की किताब' में बेहतर भविष्य की पटकथा लिख रहे हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पिछले आठ महीनों में चार बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं।
2. जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में शेख मोहम्मद मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर आए थे ।
3. अबू धाबी में 'अहलान मोदी' कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया था।
4. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से सम्मानित किया जा चुका है।

उपरोक्त कथन / कथनों में कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 औ 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 3

(D) केवल 2

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत – संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच के आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक संबंध किस प्रकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोगी की भूमिका निभा रहा है?

भारतीय कृषि : वर्तमान समस्या और दीर्घकालीन समाधान

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास , भारतीय कृषि , न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, प्रत्यक्ष आय और निवेश सहायता, कर्ज़ माफी।

खबरों में क्यों ?

- फरवरी 2024 में हजारों की संख्या में पंजाब के किसान हरियाणा की सीमा पर तीन स्थानों पर एकत्र हुए हैं, जहां उन्हें दिल्ली तक मार्च करने से रोक दिया गया है।
- इन प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांग भारत के केंद्र सरकार से फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी, कर्ज माफी, कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों को रद्द करने और किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपये की पेंशन की मांग शामिल हैं। इनमें से कुछ मांगें 2021-22 में उनके पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान उठाई गई थीं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करने वाले तीन विवादास्पद कानूनों को वापस लेने के बाद बंद कर दिया गया था।
- इस विरोध का नेतृत्व एसकेएम (गैर-राजनीतिक) द्वारा किया जा रहा है, जो उस निकाय से अलग हुआ समूह है जिसने इससे पहले विरोध का नेतृत्व किया था। यह विभाजन हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हित समूहों में दरार का प्रतीक है। और राजस्थान. कम से कम तीन अन्य प्रकार के विरोध प्रदर्शन ज़ोर पकड़ रहे हैं।
- पश्चिमी यूपी में किसान जेवर हवाईअड्डा परियोजना और यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित लोग भी विरोध – प्रदर्शनों में सरकार के आमने-सामने हैं।

- हरियाणा के सोनीपत में किसान बिजली केबल के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं।
- एसकेएम और कई ट्रेड यूनियनों ने ओवरलैपिंग और अतिरिक्त मांगों के साथ 16 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर और औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया है जिसमें चार श्रम कानूनों को निरस्त करने की मांग शामिल है।
- केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी की संभावना नहीं दिख रही है।
- हरियाणा और दिल्ली में पुलिस ने किसानों को दिल्ली से 200 किमी से अधिक दूर रोक दिया है क्योंकि वे किसानों को फिर से देश की राष्ट्रीय राजधानी की सीमा के अंदर नहीं घुसने देंगे क्योंकि वर्ष 2021-22 में किसानों ने विरोध – प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के लालकिले पर असामाजिक तत्वों द्वारा असंवैधानिक कृत्य किया था।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा एमएसपी – आधारित खरीद खाद्य सुरक्षा का आधार रही है। अनाज के अधिशेष उत्पादकों को एमएसपी योजना से लाभ हुआ है, लेकिन यह योजना गरीब क्षेत्रों में निर्वाह करने वाले किसानों को नजरअंदाज कर देती है।
- हाल ही में तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा की पराजय का एक बड़ा कारण सरकार द्वारा किसानों की अनदेखी को भी माना गया है । लगातार ऐसी खबरें मिलने का सिलसिला चलता रहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिला था। ऐसी खबरें भी चर्चा में रहीं कि आलू और प्याज़ जैसी फसलों की लागत तक न निकल पाने के कारण किसानों ने अपनी फसल खेतों में ही नष्ट कर दी। इसके अलावा अन्य कृषि उपजों का भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

  देशभर में किसानों के असंतोष का सबसे बड़ा कारण उनकी उपज का सही मूल्य न मिलना रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। किसानों की समस्याएँ कोई नई नहीं हैं; लेकिन उनके समाधान की ईमानदार कोशिशें होती कभी नज़र नहीं आईं। किसानों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें भी पिछले कई वर्षों से चर्चा में हैं। किसानों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में निकाली गई विशाल रैलियाँ उनके असंतोष को बताने के लिए पर्याप्त है।

भारतीय कृषि की समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

- सन 1947 से अब तक देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व के सफलतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल है। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है तथा भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पाँच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत ने अन्य क्षेत्रों में भी नियमित रूप से विकास की नई कहानियाँ लिख रहा है।
- इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी है जो आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी बेहद अभावों में जीवन जीने को विवश हैं और कई बार ये कृषि के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं।

भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास की मूल समस्या :

भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास के मूल में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें दूर किये बिना भारत में कृषि क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

1. भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। निजी तौर पर सिंचाई सुविधाओं का प्रबंध वही किसान कर पाते हैं जिनके पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध है क्योंकि सिंचाई उपकरणों जैसे ट्यूबवेल स्थापित करने की लागत इतनी होती है कि गरीब किसानों के लिये उसे वहन कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर हो जाते हैं और समय पर वर्षा न होने पर उनकी फसलें खराब हो जाती हैं और कई बार निर्वाह लायक भी उत्पादन नहीं हो पाता। इसी तरह अधिक वर्षा होने पर या विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं और किसान गरीबी के दलदल में फंसता जाता है।

2. भारतीय किसानों की एक बड़ी आबादी के पास बहुत कम मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसका एक बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। इसके परिणामस्वरूप कृषि किसानों के लिये लाभ कमाने का माध्यम न होकर महज निर्वाह करने का माध्यम बन गई है जिसमें वे किसी तरह अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर पाते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र प्रछन्न बेरोजगारी की भी समस्या से जूझने वाला क्षेत्र है।

3. किसानों को अक्सर उनकी उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिलती है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे अपनी फसलों को विभिन्न कारणों से जैसे ऋण चुकाने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमतों पर ही बेंच देते हैं। जिसके कारण उन्हें काफी हानि का सामना करना पड़ता है।

4. भारत के कृषि क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग न कर पाना, परिवहन सुविधाओं की कमी, भंडारण सुविधाओं में कमी, परिवहन की सुविधाओं में कमी, अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव तथा मिट्टी की गुणवत्ता में कमी के कारण उपज में आती कमी इत्यादि समस्याएँ शामिल हैं।

5. भारत के ज्यादातर किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पूँजी का अभाव/ कमी है। आज भी देश के ज्यादातर किसानों को व्यावहारिक रूप में संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। कई बार किसानों के पास इतनी भी पूँजी नहीं होती कि वे बीज, खाद, सिंचाई जैसी बुनियादी चीजों का भी प्रबंध कर सकें। इसका परिणाम यह होता है कि किसान समय से फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते अथवा अपर्याप्त पोषक तत्वों के कारण फसलें पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं हो पाती हैं। इसके साथ ही पूंजी के अभाव में किसान को निजी व्यक्तियों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है जिससे उसकी समस्याएँ कम होने की जगह बढ़ जाती हैं। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिये काफी मददगार साबित हो रही है। इससे किसानों की कृषि संबंधी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने में काफी हद तक सहायता मिल जाती है।

भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए शुरू किया गया महत्वपूर्ण पहल :

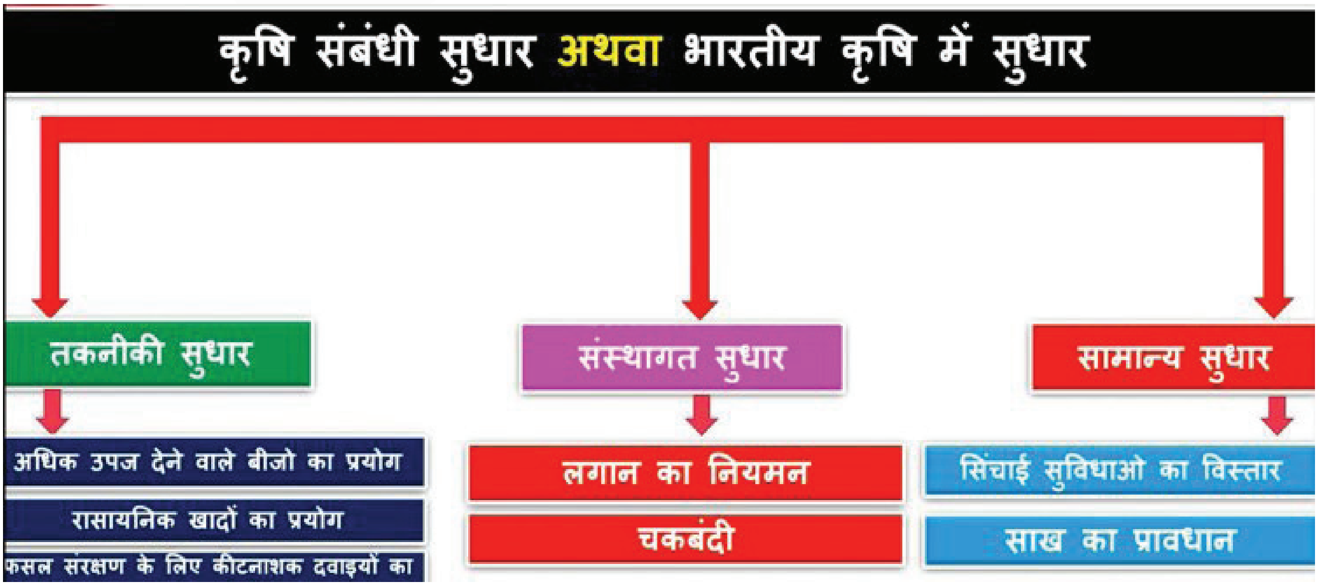

भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक स्तर पर सुधारों और किसानों की आय दोगुना करने के लिए 7 सूत्रीय रणनीतिक पहल शुरू किया गया है। जो निम्नलिखित है –

1. भारत सरकार द्वारा कृषि उपज को नष्ट होने से बचाने के लिए गोदामों और कोल्ड स्टोरेज पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। इससे उपज की बर्बादी रुकेगी, खाद्य सुरक्षा की स्थिति और मजबूत होगी तथा शेष उपज का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी किया जा सकता है।

2. केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर बल दिया गया है। इससे पूरे देशभर में कृषि उपज की कीमतों में समानता आएगी और भारत के सभी राज्यों के किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सकेगा।

3. वर्तमान में भारत में कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है साथ ही खेतों में उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का प्रयोग करने करने के लिए जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है जितनी मात्रा मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मिटटी की उर्वरता के अनुसार प्रयोग करना उचित है। इससे मृदा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा साथ ही उर्वरकों पर होने वाले खर्च में भी प्रभावी कमी आएगी। इससे मृदा और जल प्रदूषण में भी कमी आएगी।

4. प्रति बूंद-अधिक फसल रणनीति (Per Drop More Crop)- इस रणनीति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पानी की मात्रा में कमी आएगी। जिससे जल संरक्षण के साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। ये रणनीति पानी की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है।

5. कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ – ही – साथ खेतों में उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का प्रयोग करने करने के लिए जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है जितनी मात्रा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार प्रयोग करना उचित है। इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा साथ ही उर्वरकों पर होने वाले खर्च में भी प्रभावी कमी आएगी। इससे मृदा और जल प्रदूषण में भी कमी आएगी।

6. खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ निहित है।

7. भारत में हर साल अलग-अलग क्षेत्रों में सूखे, अग्नि, चक्रवात, अतिवृष्टि, ओले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए वहनीय कीमतों पर फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है। हालाँकि इसका वास्तविक लाभ अब तक पर्याप्त किसानों को नहीं मिल पाया है। इसका लाभ अधिकांश लोगों / किसानों तक पहुँचे इसके लिए भारत सरकार को केन्द्रीय स्तर पर उपाय किए जाने चाहिए ।

भारतीय कृषि की समस्या का दीर्घकालीन समाधान :

भारतीय कृषि और भारतीय किसानों की समस्याओं के दीर्घकालीन समाधान के लिए कुछ ऐसे सुधार आवश्यक है जिस पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही ईमानदारीपूर्वक एवं अविलंब अमल कर समाधान करने की ज़रूरत है। वे सुधार निम्नलिखित है –

1. **सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष आय और निवेश सहायता की जरूरत।**
2. **फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन।**
3. **किसानों की कर्ज़ माफी।**

सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष आय और निवेश सहायता :

- किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना राज्य सरकार इस विकल्प की शुरुआत की गई। जिसे **'रायथू बंधु'** नाम दिया गया है। **रायथू बंधु का अर्थ है – ' किसानों का मित्र' ।** यह एक किसान निवेश सहायता योजना है, जिसके तहत तेलंगाना सरकार किसानों को **रबी और खरीफ की फसलों** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत कृषि निवेश का समर्थन करने के लिए प्रति फसल मौसम/ सीजन के लिए तेलंगाना राज्य सरकार किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। रबी और खरीफ के मौसम के लिए सालाना दो बार यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है यानी सालाना 4000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत किसानों को सहायता राशि का भुगतान मंडल (उप-जिला) कृषि अधिकारी के कार्यालय से चेक के रूप में किया जाता है। यह तेलंगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है और इसकी सावधानीपूर्वक निगरानी भी की गई। इस योजना के अलावा तेलंगाना में किसानों को पाँच लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है।

भारत में कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम :

भारत में कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए और भारतीय किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषि बाज़ारों में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके साथ – ही – साथ सरकारों द्वारा निम्नलिखित पहलों के माध्यम से भी भारतीय कृषि और भारतीय किसानों की दशा को नई दिशा प्रदान की जा सकती है –

1. **न्यूनतम मूल्य समर्थन (MSP) सिस्टम को मज़बूत बनाकर इसका दायरा बढ़ाना।**
2. **कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) के मकड़जाल को तोड़ना और दलाल एवं बिचौलिए को खत्म करना।**
3. **किसानों के कृषि उत्पादों को बाज़ारों तक पहुँचाने के लिए आपूर्ति – श्रृंखलाओं का विकास करना।**
4. **उपभोक्ताओं, किसानों और बाज़ार के बीच बेहतर संपर्क विकसित करना ।**
5. **समझौतायोग्य गोदाम रसीद प्रणाली में सुधार करना।**
6. **भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 में संशोधन करना।**
7. **ज़मीनों से जुड़े तथा चकबंदी आदि कानूनों को सरल बनाना**
8. **कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना**
9. **भारतीय किसानों के कृषि-निर्यात बढ़ाने के लिए सरल और अनुकूल माहौल तैयार करना।**
10. **फूड प्रोसेसिंग की सुविधाओं का विकास करना।**

किसानों की कर्ज़ माफी का मुद्दा :

- भारत में किसानों की कर्ज़ माफी योजना किसानों की समस्या का कोई स्थायी समाधान साबित नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में इसका लाभ 20 से 30 प्रतिशत किसानों को ही मिल पाता है। सरकार की इस सीमित पहुँच की वज़ह से भारतीय किसानों की व्यापक शिकायतों और समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता है। क्योंकि वास्तव में कर्ज़ माफी जैसे अंतरिम उपायों से कृषि से होने वाली आय लगातार कम होते जाने की असल समस्या का समाधान नहीं हो पाता है।

भारतीय कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता :

भारतीय किसानों के वर्तमान हालात में यह देखा गया है कि समय बीतने के साथ – साथ भारतीय किसानों की हालत सुधरने के बजाय और खराब होती चली गई है। किसानों को संतुष्ट करने के लिए सरकारी स्तर पर देश के नीति-निर्धारक समय – समय पर जो उपाय करते हैं, वे तात्कालिक राहत पहुँचाने वाले होते हैं। इन उपायों के तहत किसानों को लुभाने वाले कदम उठाए जाते हैं, जबकि ज़रूरत ऐसे संरचनात्मक उपायों की है जो दीर्घकालिक हों और किसानों की समस्या को स्थायी तौर पर हल कर सकें। जैसे- यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजना चलाना। इससे हर महीने एक निश्चित आय हो सकेगी और किसान अपनी उपज को औने-पौने दामों पर बेचने को विवश नहीं होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिजली – पानी, खाद, कृषि के बुनियादी ढाँचे, विपणन और जोखिमों का सामना करने की क्षमता आदि जैसी किसानों की सामान्य समस्याओं को ही दूर करने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं।

भारत की कृषि का आधुनिक कृषि तकनीक और कृषि उपकरणों से वंचित होना :

आज जब पूरी दुनिया में मानव गतिविधियों के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, वहीं अधिकांश भारतीय कृषि अभी सदियों पुराने ढर्रे और परंपरागत तरीकों पर ही निर्भर है। आज तक भारतीय कृषि जगत में किसी तकनीक विशेष का प्रयोग नहीं हो रहा है। 15 साल पहले BT कॉटन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई प्रयोग कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ है। आज मनुष्य के पास विभिन्न प्रकार की तकनीक मौजूद हैं, जैसे- जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी, परमाणु कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण के लिए नैनो प्रौद्योगिकी। इन सबका प्रयोग भारतीय कृषि क्षेत्र में नही किया जा सकता है।

भारत में कृषि क्षेत्र की विशेषताएं और इसमें सुधार करने के उपाय :

भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए निम्नलिखित 6-सूत्री योजना को अपनाकर भारतीय कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवतर्न किया जा सकता है। जिसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय किसानों के हित में हो सकता

है –

1. इनपुट वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाना।
2. सिंचाई सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार करना ।
3. भारतीय कृषि क्षेत्र में विविध तकनीकों का उपयोग करना ।
4. ग्रामीण अवसंरचना त्मक क्षेत्र में निवेश करना ।
5. भारतीय कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का अधिकतम उपयोग करना।
6. भारतीय किसानों का क्षमता निर्माण को विकसित करना ।

निष्कर्ष / समाधान :

- भारत में कृषि राज्य सूची का विषय है और हर राज्य अपनी सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार ही अपनी कृषि नीतियों का निर्धारण करता है। भारत में कृषि क्षेत्र के मामले में केंद्र और राज्यों को एकसाथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान समय का एक कड़वा और वास्तविक सच यह भी है कि भारतीय किसानों को खेती-बाड़ी से जो आय हो रही है, वे उससे कहीं अधिक के हक़दार हैं। किन्तु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अल्पकालिक उपायों से भारतीय किसानों की आय में बढ़ोतरी कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक प्रतिबद्धता और क्रमबद्ध तरीकों से समाधान करने के उपाय करने होंगे, तभी भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति में कुछ भी सुधार हो सकता है।

- भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद के असमान भौगोलिक विस्तार ने कुछ क्षेत्रों में अस्थिर कृषि पद्धतियों को भी जन्म दिया है, जबकि देश के अन्य क्षेत्रों में किसान हमेशा गरीबी के कगार पर रहते हैं।

- भारतीय कृषि क्षेत्र में खेती के लिए सार्वजनिक समर्थन में सुधार की मांग करता है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सहित कारणों से आवश्यक है। इसे व्यापक राजनीतिक परामर्श के माध्यम से और मौजूदा प्रणाली के लाभार्थियों को उत्पादन में विविधता लाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पूर्व किसानों के विरोध – प्रदर्शनों के मूल में राजनीतिक दलों की आपसी हितों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कृषि क्षेत्र को सार्वजनिक समर्थन के एक नए मॉडल की आवश्यकता है। इसे बाजार की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस प्रश्न पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए।

- देश की अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है। अत: देश में गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, भुखमरी उन्मूलन इत्यादि तभी संभव है जब कृषि और किसानों की हालत में सुधार किया जाए। उपरोक्त उपायों को यदि प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर कृषि की दशा में सुधार आ सकता है। इससे इस क्षेत्र में व्याप्त निराशा में कमी आएगी, किसानों की आत्महत्या रुकेगी, और खेती छोड़ चुके लोग फिर से इस क्षेत्र में रुचि लेने लगेंगे।

- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। चूंकि देश के अधिकांश कृषक इन चीजों से पहले से ही जुड़े हुए हैं। अत: इसका सीधा लाभ उन्हें मिल सकता है। अब भारत में किसानों में जाग-रूकता पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे पशुओं की नस्ल सुधार जैसे कारकों पर प्रभावी तरीके से काम किया जाए।

- देश की राजधानी की सीमा पर धरने पर बैठे किसानों से केंद्र सरकार को बातचीत के माध्यम से किसानों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में कृषि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ?

(A) यह संघ सूची के विषयों के अंतर्गत आता है।

(B) यह समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत आता है।

(C) यह राज्य के नीति – निर्देशक,, प्रस्तावना और मूल अधिकारों से संबंधित है।

(D) यह राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कृषि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को रेखांकित करते हुए इसके दीर्घकालीन समाधान के उपायों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

चुनावी बॉण्ड योजना बनाम : सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन -2 । – चुनावी बॉण्ड योजना, राजनीतिक दल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव प्रक्रिया पर चुनावी बॉण्ड का प्रभाव, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

खबरों में क्यों ?

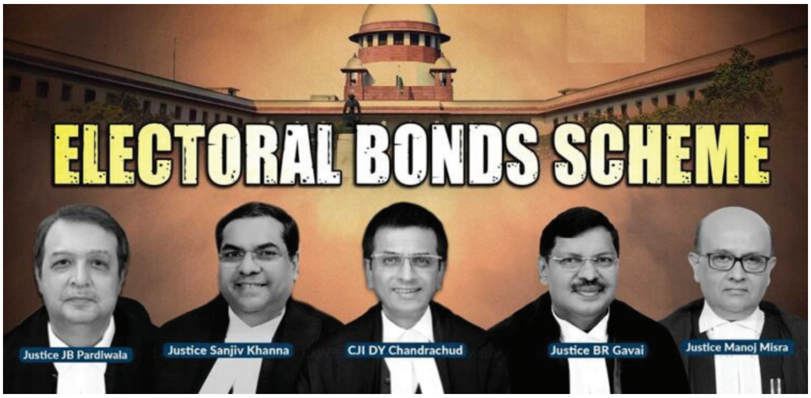

- 15 फरवरी 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा शरू की गई को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस मामले सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदात सूचना का अधिकार है।
- उच्चतम न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साल 2023 के अप्रैल महीने से लेकर अब तक की सारी जान-कारियां चुनाव आयोग को देने के लिए कहा और भारत के चुनाव आयोग ये संपूर्ण जानकारी उच्चतम न्यायालय को देने के लिए भी कहा है।

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़ा क्रमिक विकास :

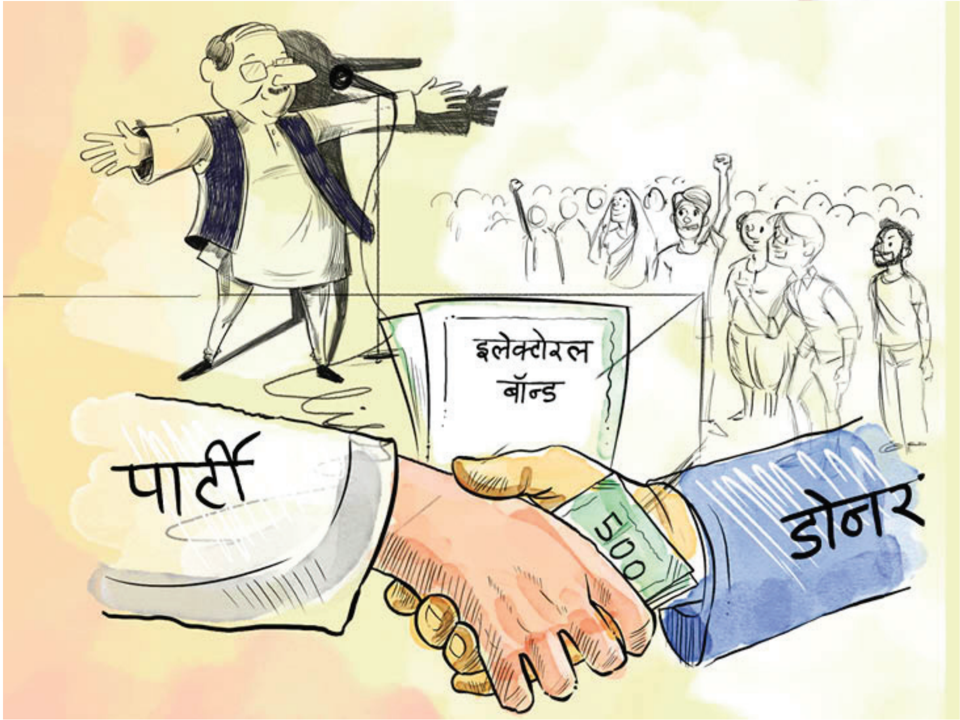

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना विभिन्न राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय की पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को इसे रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

- भारत में वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई थी।
- 14 सितंबर, 2017 को 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) नामक एनजीओ ने मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में इस योजना के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती पेश किया।
- 03 अक्टूबर, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने उस एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
- 2 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को भारत में अधिसूचित किया।
- 7 नवंबर, 2022को चुनावी बॉन्ड योजना में एक वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए

संशोधन किया गया, जहां कोई भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हो सकता है।

- 6 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के बेंच ने इस योजना के खिलाफ याचिकाओं को पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा।
- 31 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
- 2 नवंबर, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने इस योजना में अपना फैसला सुरक्षित रखा।
- 15 फरवरी, 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि – यह भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदात वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमत हुआ था। वे दो महत्वपूर्ण मुद्दा निम्नलिखित है –

1. राजनीतिक दलों को गुप्त दान की वैधानिकता और राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन, संभावित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
2. ये मुद्दे संवैधानिक अनुच्छेद 19, 14 और 21 के उल्लंघन से संबंधित हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना का परिचय एवं पृष्ठभूमि :

- भारत में चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू भी कर दिया गया था।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दानदाताओं की नाम को गुप्त रखते हुए या सार्वजानिक किए बिना पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना की विशेषताएँ :

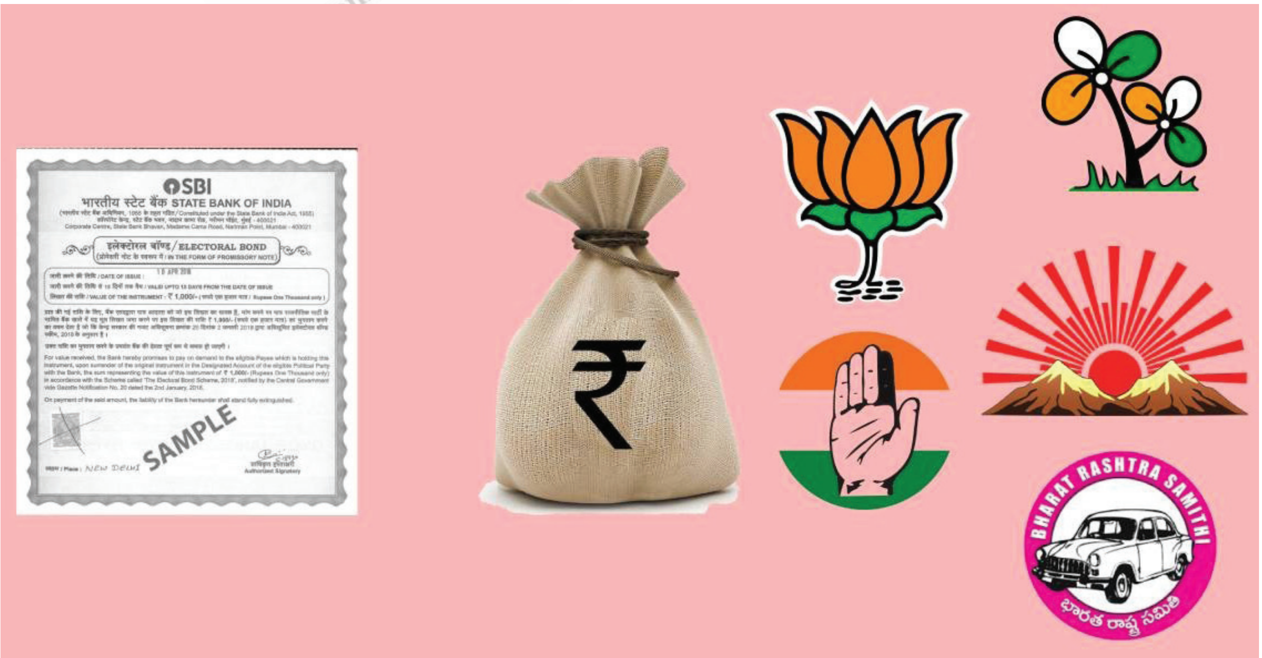

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी करता है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया यह बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।
- इस बॉण्ड को कोई भी भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित कोई भी संस्थाएँ खरीद सकती हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भी खरीदा जा सकता है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी यह चुनावी बॉण्ड जारी होने की तिथि से मात्र 15 दिनों तक के लिए ही वैध होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक :

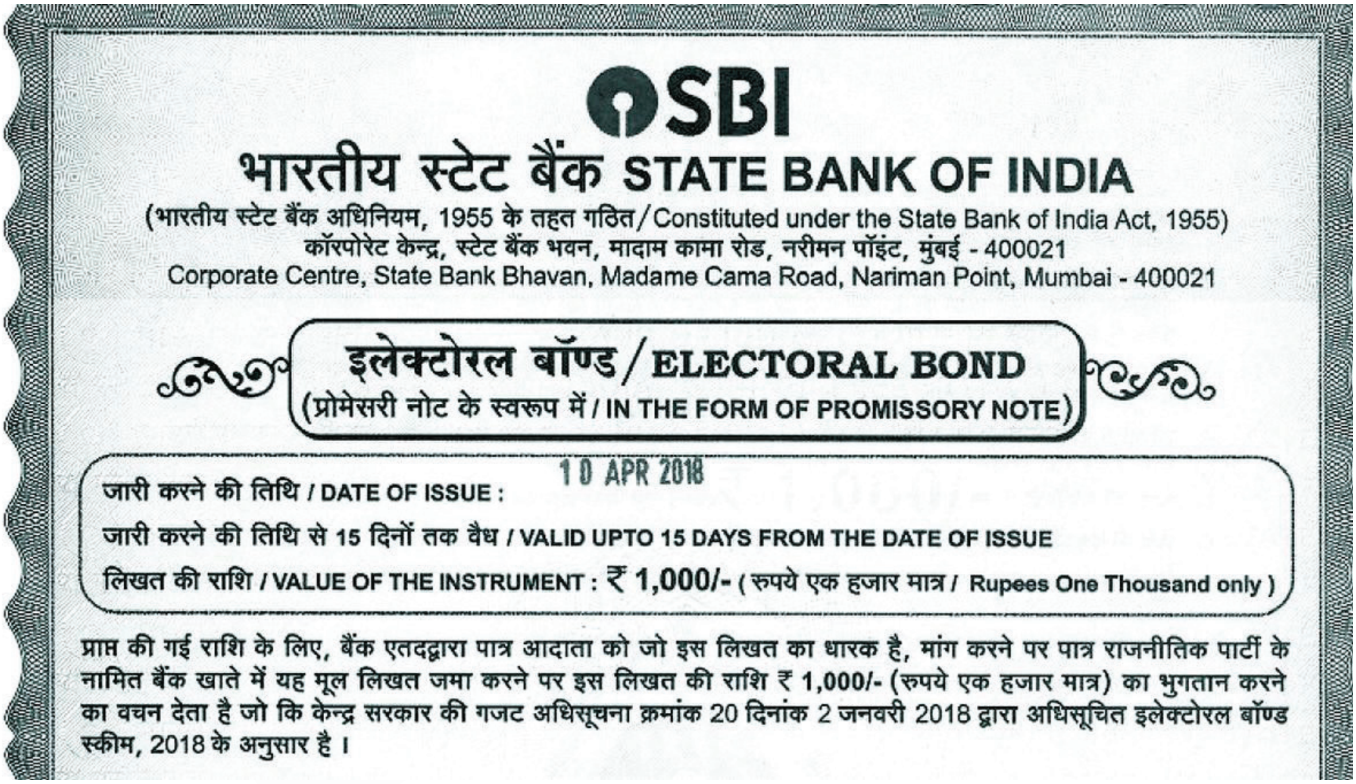

SBI

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955)
कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND
(प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE : 10 APR 2018
जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE
लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT : ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र / Rupees One Thousand only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है ।

- भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक है।
- भारत में चुनावी बॉण्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं।

भारत में चुनावी बॉण्ड खरीदने के राजनीतिक दलों की पात्रता :

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A** के तहत भारत में केवल वही पंजीकृत राजनीतिक दल ही, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम – से – कम 1% वोट हासिल किया हो, वही इस चुनावी बॉण्ड को खरीदने के लिए पात्र होते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड डिजिटल माध्यम अथवा चेक के माध्यम से ही खरीदे जा सकते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड का नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है।

चुनावी बॉण्ड के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही :

- भारत में राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने अपने बैंक खाते के विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य होता है।
- चुनावी बॉण्ड में प्रति पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है।
- भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड से प्राप्त धन के उपयोग का विवरण देना अनिवार्य होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना का लाभ :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत प्राप्त धन राशि से भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी फंडिंग में होने वाले खर्चों की पारदर्शिता में वृद्धि होती है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत प्राप्त धन के रूप में या प्राप्त दान के रूप में प्राप्त धन के उपयोग का ब्रज्ञीतिक दलों को खुलासा करने की जवाबदेही होती है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत नकद रूप में या नकदी लेन-देन में कमी आती है ।
- दानकर्ताओं के नाम को गुप्त रखा जाता है या दानदाता की पहचान की गोपनीयता का संरक्षण किया जाता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित मुख्य चिंताएँ और चुनौतियाँ :

चुनावी बॉण्ड योजना का अपने मूल विचार के विपरीत होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की आलोचना का मुख्य कारण यह है कि यह अपने मूल विचार अथवा उद्देश्य, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने, के बिल्कुल विपरीत काम करती है।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित आलोचकों के एक वर्ग का यह तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गोपनीयता केवल जनता और विपक्षी दलों के लिए ही होता है, यह दान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों पर/ के लिए लागू नहीं होता है।

चुनावी बॉण्ड योजना के तहत ज़बरन वसूली की प्रबल संभावना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, जिससे सत्तारूढ़ सरकार को यह पता चल जाता है कि उसके विरोधियों की पार्टियों को कौन – कौन फंडिंग कर रहा है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत सत्तारूढ़ पार्टी या वर्तमान सरकार को विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से पैसे वसूलने के लिए यह सुविधा प्रदान करता है या कभी -कभी यह सत्ताधारी पार्टी को धन न देने के लिए उस व्यक्ति या उस कंपनी को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा परेशान करने की प्रबल संभावना को भी दर्शाता है। यह किसी भी तरह से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करता है।

सूचना के अधिकार से समझौता होने की प्रबल संभावना :

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि सूचना का अधिकार विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- भारत में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना को दो वित्त अधिनियमों वित्त अधिनियम, 2017 और वित्त अधि-

नियम, 2016 के माध्यम से इसमें कई संशोधन किए थे, दोनों वित्त अधिनियमों को **'धन विधेयक'** के रूप में लोकसभा में पारित किया गया था ।

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्त्ताओं ने इन संशोधनों को **'असंवैधानिक', 'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों' और 'मौलिक अधिकारों'** की एक श्रृंखला का उल्लंघन बताते हुए ही चुनावी बॉण्ड योजना चुनौती दी थी।

निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया के विरुद्ध :

- भारत में चुनावी बॉण्ड भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए धन के स्रोत का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करता है।
- चुनावी बॉण्ड के रूप में दिए गए दान दाताओं के नाम को गुप्त रखना या उसके नाम को सार्वजानिक नहीं करने से उक्त गुमनामी का असर तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों या सरकार पर लागू नहीं होती है, जो हमेशा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।
- यह है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है।

भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के मूल अवधारण के विरुद्ध :

- भारत में केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान के नाम को बताने में छूट प्रदान की है।
- भारत के किसी भी नागरिकों या मतदाताओं को यह कभी पता ही नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने या किस संगठन ने किस पार्टी को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कितनी मात्रा में फंड प्रदान किया है।
- किसी भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश के एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों को अपना वोट देते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः भारत के नागरिकों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किसी राज-नीतिक दल को कितना धन प्राप्त हुआ है , को जानने का अधिकार होना ही चाहिए।

बड़े कार्पोरेट घरानों और बड़े व्यावसायिक घरानों के लाभ पर केंद्रित होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट चंदा और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा गुप्त रूप से वित्तपोषण के द्वार खोल दिया हैं, जिसका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर असर हो सकता है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत भारत में कॉर्पोरेट और यहाँ तक कि विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए दान पर कर में 100% छूट से बड़े व्यावसायिक घरानों को लाभ होता है।

घोर पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज़्म) को बढ़ावा :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक रूप से प्राप्त चंदे पर पूर्व में मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी संसाधन वाले निगमों को चुनावों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है। परिणामस्वरूप क्रोनी कैपिटलिज़्म का मार्ग प्रशस्त होता है।
- घोर पूंजीवाद/ साठगांठ वाला पूंजीवाद / क्रोनी कैपिटलिज़्म में व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और साठगांठ वाला पूंजीवादीआर्थिक प्रणाली है। जिससे भारत के लोकतंत्रा-त्मक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष / समाधान :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय को लागू करने करने की अत्यंत जरूरत है ।
- भारत में राजनीतिक दलों के लिए चंदा प्राप्त करने के संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष स्पष्टीकरण संबंधी सख्त नियम लागू होना चाहिए और भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार के दान की जाँच करने तथा चुनावी बॉण्ड एवं चुनाव एवं चुनाव में व्यय होने वाले धन दोनों ही के संबंध में स्पष्टीकरण देने का सख्त प्रावधान होना चाहिए
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से प्राप्त धन के संबंध में संभावित दुरुपयोग, दान सीमा के उल्लंघन और क्रोनी पूंजीवाद तथा काले धन के प्रवाह जैसे जोखिमों को रोकने के लिए चुनावी बॉण्ड में वर्तमान में मौजूद कमियों की पहचान करके उसका समाधान करने की अत्यंत जरूरत है।
- वर्तमान भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोकतंत्र के प्रति उभरती चिंताओं को दूर करने, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल ढलने और लोकतंत्र में अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जाँच, आवधिक समीक्षा तथा सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चुनावी बॉण्ड योजना की समयबद्ध निगरानी करने को सुनिश्चित करने की अत्यंत जरूरत है।
- भारत के लोकतंत्र और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के दुष्चक्र और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए राजनीतिक स्तर पर साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की अत्यंत आवश्यकता है।
- भारत के लोकतंत्र में संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना में व्याप्त मौजूदा कानूनों की खामियों को दूर करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता अभियानों की शुरुआत कर मौजूदा चुनावी बॉण्ड योजना में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता हैं।
- भारतीय लोकतंत्र में यदि मतदाता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति जागरूक होकर उन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर देते हैं जो चुनावों में अधिक धन खर्च करते हैं या मतदाताओं को रिश्वत देते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र अपने मूल उद्देश्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ जाएगा। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लोकतंत्र के प्रति उज्जवल भविष्य के संकेत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चुनावी बॉण्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई थी।
2. भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया है।
3. भारत में चुनावी बॉण्ड नकद , डिजिटल माध्यम, डिमांड ड्राफ्ट, एटीएम और चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।
4. चुनावी बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 2 और 4

(D) केवल 1 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चुनावी बॉण्ड योजना बनाम सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच के अंतर्संबधों के प्रमुख प्रवधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि चुनावी बॉण्ड एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया वाले लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है?

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आवश्यक औषधियाँ : नए अनुसंधान की जरूरत

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – सार्वजनिक सवास्थ्य देखभाल सेवाएं, आवश्यक दवाएं, विकास वित्त संस्थान , स्वास्थ्य व्यय, राष्ट्रीय चिकित्सा नीति, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, तर्कसंगत दवा उपयोग।

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) से जुड़ा एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है।
- **केंद्र सरकार को 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन . के. सिंह ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में में निवेश के लिए एक समर्पित विकास वित्त संस्थान (Development Financial Institute- DFI) बनाने के लिए अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी।**
- भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) से जुड़ा एक मुक्त व्यापार समझौता में विवाद की एक जड़ बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है जो वर्ष 2008 से एक मुद्दा बना हुआ है।
- स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, जो ईएफटीए के प्रमुख सदस्य हैं, भारत की कई फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों भी विश्व स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को रेखांकित करती है।
- फार्मा उद्योग की प्रकृति ही ऐसी है कि एक उपयोगी प्रभावी दवा की खोज करने में बहुत अधिक धन की लागत आती है और इसकी जेनेरिक प्रतियां बनाने में अपेक्षाकृत कम लागत होती है। इसकी मांग सामर्थ्य के मुकाबले बहुत अधिक है। फलतः आविष्कारकों और जेनेरिक-दवा के बीच लगातार विवाद होता रहता है।
- कंपनियां. पेटेंटिंग, या प्रवर्तकों को एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए एक विशेष एकाधिकार और सरकारों द्वारा 'अनिवार्य लाइसेंसिंग' के लिए निर्देश जारी करने का पारस्परिक अधिकार, जिससे दशकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्योग के हित में ऐसे एकाधिकार को वैश्विक फार्मा ने बनाए रखा है।
- डेटा विशिष्टता जैसे नए कानूनी नवाचार मुक्त व्यापार वार्ता में खुद को शामिल करना जारी रखते हैं। इस प्राव-धान के तहत, सभी नैदानिक-परीक्षण डेटा जो कि प्रवर्तक फर्म द्वारा उत्पन्न दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता से संबंधित है, कम से कम छह साल की अवधि के लिए स्वामित्व और सीमा से बाहर हो जाता है।
- जेनेरिक दवा बनाने की अनुमति तभी संभव है जब किसी देश का नियामक किसी दवा को मंजूरी देने के लिए आपूर्ति किए गए नैदानिक परीक्षण डेटा पर भरोसा कर सके। इसके लिए, जेनेरिक निर्माता आमतौर पर प्रवर्तक के प्रकाशित डेटा पर भरोसा करते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का परिचय :

समाज में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य और कल्याण, जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित है। यह स्वास्थ्य के अधिक व्यापक निर्धारकों को संबोधित करता है और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण के व्यापक और आपस में संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है।

- वह पूरे जीवन में स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए पूरे की देखभाल मुहैया कराता है और न केवल विशिष्ट रोगों के लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में व्यक्तियों का उपचार, पुनर्वसन और पीड़ाहारक देखभाल शामिल है, जो लोगों के दैनिक जरूरतों और व्यापक पर्यावरण की दृष्टि से अधिक से अधिक योग्य हो।

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मूल न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता और स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के मूलभूत अधिकार की मान्यता में है।

- मानव अधिकारों पर वैश्विक घोषणा की धारा 25 के अनुसार – **“हर किसी को उसके और उसके परिवार के लिए पर्याप्त जीवन यापन का अधिकार शामिल है, जिसमें अन्न, वस्त्र, आवास और चिकित्सीय देखभाल तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं [“**

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बारबार आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मानवीय विकास का एक महत्त्वपूर्ण घटक समझा जाता है। जिसे चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भी कहते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजानिक स्वास्थ्य देखभाल का अर्थ :

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीन घटकों के आधार पर सार्वजानिक स्वास्थ्य देखभाल की एक व्यापक परिभाषा दिया गया है। जो निम्नलिखित है –

1. किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन में व्यापक बढ़ावा देने वाली, सुरक्षात्मक, निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वसन संबंधी और पीड़ाहारक देखभाल के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समेकित स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्रीय घटकों के रूप में रणनीति की दृष्टि से प्राथमिक देखभाल के माध्यम से और परिवारों पर लक्षित महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और जनसंख्या पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के माध्यम से प्राथमिकता देना ।

2. सभी क्षेत्रों में प्रमाण सूचित सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के माध्यम से स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करना, जिसमें व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण केअनुकूल और व्यवहारिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। तथा

3. व्यक्तियों और सार्वजानिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाली और सुरक्षा देने वाली नीतियों की वकालत के रूप में, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के सह – विकासकों के रूप में और अन्यों को स्वयं देखभाल करने और देखभाल देने वालों के रूप में स्वास्थ्य को महत्तम करने के लिए व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों का सशक्तीकरण करना शामिल है ।

सार्वजानिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व :

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का नूतनीकरण करना और उसे प्रयासों के केंद्र में रखकर स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारना निम्नलिखित तीन कारणों से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है –

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तेज़ी से आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और जनसंख्या परिवर्तनों को प्रतिक्रिया देने के लिए जिनमें सभी के स्वास्थ्य और कल्याण शामिल है । प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की व्यापक परिधि को आकर्षित कर स्वास्थ्य और कल्याण के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और व्यावसायिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए नीतियों की परीक्षा और बदलाव लाता है। अपने स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण के उत्पादन में महत्वपूर्ण कार्यकारकों के रूप में लोगों और समुदायों से व्यवहार करना हमारे बदलते विश्व की जटिलताओं को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य और कल्याण के आज के प्रमुख कारणों और खतरों को संबोधित करने के लिए, साथ ही आने वाले समय मेंस्वास्थ्य और कल्याण को खतरे में डालने वाले उभरती चुनौतियों को संभालने के लिए अति प्रभावी और कार्यक्षम पद्धति सिद्ध हुई है।

- सार्वजानिक स्वास्थ्य में निवेश अच्छे मूल्यवान निवेश भी सिद्ध हुआ है, क्योंकि ऐसा प्रमाण है कि गुणवत्तावान प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तियों केअस्पताल में भर्ती होने की दर में कमी करने के द्वारा कुल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को कम करती है और कार्यक्षमता को बढ़ाती है।

- बढ़ती जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली और निवारक नीतियों का समेकन करता है,।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य समाधान जो मानव समुदायों को प्रभावित करते हैं और वैसी स्वास्थ्य सेवाएं जो जनकेंद्रित होती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल होते हैं, और वह स्वास्थ्य सुरक्षा को सुधारने और महामारियों व सूक्ष्म जीवरोधी प्रतिरोध जैसे स्वास्थ्य खतरों के निवारण में अत्यंत आवश्यक होते हैं, वह सामुदायिक सहभाग तथा शिक्षा, विवेकपूर्ण निर्धारण औरआवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यवाहियों जैसे कि पर्यवेक्षण के माध्यम से ही संभव होता है।

- सामुदायिक और सार्वजानिक स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों को विक्सित करने से स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतरता बनाने में योगदान मिलता है, जो स्वास्थ्य प्रणाली के झटके झेलने के लिए महत्त्वपूर्ण होता है।

- सार्वजानिक स्वास्थ्य सेवाएं अधिक शक्तिशाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिरस्थायी विकास ध्येयों और वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वह स्वास्थ्य ध्येय(एसडीजी – 3) के परे अन्य ध्येयों की उपलब्धि में योगदान देगा, जिसमें गरीबी, भूख, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी और सुरक्षा, कार्य तथा आर्थिक विकास, असमानता और जलवायु के प्रति जोखिमों को कम करना शामिल है।

सार्वजानिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिक्रिया :

विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त करने की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की केंद्रीय भूमिका को पहचानता है। डब्ल्यूएचओ विश्व के विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों के साथ इन कारणों से साथ – साथ सहयोगी के रूप में काम करता है –

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त करने की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की केंद्रीय भूमिका को पहचानता है। डब्ल्यूएचओ अन्य देशों के साथ इस कारण से काम करता हैः

2. समावेशक नीतियां विकसित करने के लिए देशों को देना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित देश के नेतृत्व और स्वास्थ्य प्रणालियों जो चिरस्थायी विकास ध्येयों और वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए कार्य करता है।

3. बहुक्षेत्रीय कार्य के माध्यम से व्यापक असामनता और स्वास्थ्य के निर्धारकों को संबोधित करना।महत्त्वपूर्ण तथ्य

4. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पूरे जीवन में निवारण, उपचार, पुनर्वसन और पीड़ाहारक देखभाल समेत की स्वास्थ्य आवश्यकताओं में अधिक को कवर करता है।

5. कम से कम विश्व के आधे ७३ करोड़ लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के पूरा कवरेज नहीं मिलता है।

6. जिन ३० देशों के लिए डेटा उपलब्ध है, केवल ८ ही प्रति अमरीकी ४० डॉलर प्रति वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करते हैं।

7. उद्देश्य के लिए योग्य कार्यबल प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक है, फ़िर भी विश्व में करीब 19 करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अनुमानित कमी है।

'स्वास्थ्य' को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के पक्ष में तर्क :

केंद्र की ज़िम्मेदारी में वृद्धि: स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किये जाने से केंद्र को नियामक परिवर्तनों को लागू करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और सभी पक्षों के दायित्वों को सुदृढ़ करने के लिये अधिक अवसर मिलेगा।

अधिनियमों का युक्तिकरण और सरल बनाना: स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा तेज़ी से उभरने वाली संस्थानों की बहुलता है, फिर भी इस क्षेत्र का विनियमन उचित रूप से नहीं होता है। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करके कार्यप्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित की जा सकती है।

केंद्र की विशेषज्ञता: केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों की तुलना में तकनीकी रूप से बेहतर है क्योंकि इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिये समर्पित अनेक शोध निकायों और विभागों की सहायता प्राप्त है। दूसरी ओर राज्यों के पास व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन करने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।

'स्वास्थ्य' को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के विपक्ष में तर्क:

स्वास्थ्य का अधिकार: सभी के लिए सुलभ, सस्ती और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान की गारंटी देना न तो आवश्यक है तथा न ही पर्याप्त।

स्वास्थ्य का अधिकार पहले ही संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्रदान किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है।

संघीय संरचना को चुनौती: राज्य सूची से केंद्र सूची में अधिक विषयों को स्थानांतरित करने से भारत की संघीय प्रकृति दुर्बल होगी। न्यास सहकारी संघवाद: केंद्र को अपने अधिकारों का इस प्रकार से इस्तेमाल करना होगा, जिससे राज्यों को उनके संवैधानिक दायित्वों जैसे- सभी के लिये पर्याप्त, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मदद मिल सके।

केंद्र पर अधिक ज़िम्मेदारी: केंद्र के पास पहले से ही अधिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिनसे निपटने के लिये वह संघर्ष करता रहता है। अधिक ज़िम्मेदारियाँ लेने से न तो राज्यों को और न ही केंद्र को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में मदद मिलेगी।

राज्यों को प्रोत्साहित करना: राज्य द्वारा एकत्रित किये जाने वाले करों का 41% हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को अपेक्षित ज़िम्मेदारियों के निर्वहन के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, साथ ही केंद्र को भी स्वयं के संसाधन का उपयोग करके अपने दायित्व को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

निष्कर्ष / समाधान :

- स्वास्थ्य को राज्य सूची का विषय होने के बाद भी इस पर केंद्र के रचनात्मक सहयोग को राज्यों को अपनाना चाहिए ।
- नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक, बीमा आधारित कार्यक्रम (आयुष्मान भारत) के माध्यम से वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये बेहतर विनियामक वातावरण और चिकित्सा शिक्षा ऐसे ही उदाहरण हैं जो राज्यों को सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पतालों और औषधालयों को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है।
- राज्य सूची – इसमें वे विषय शामिल हैं जिनके तहत राज्य कानून बना सकता है।
- डेटा विशिष्टता का सिद्धांत यूरोपीय देशों के साथ-साथ कई विकासशील देशों से जुड़े समझौतों में भी मौजूद है। यदि यह भारत में प्रभावी होता, तो यह भारत के दवा उद्योग में काफी बाधा डाल सकता था।
- भारत सस्ती दवाओं का एक प्रमुख निर्यातक देश भी है।
- भारतीय अधिकारियों ने एफटीए में बातचीत के बिंदु के रूप में डेटा विशिष्टता को खारिज कर दिया है, हालांकि समझौते के लीक हुए मसौदे से पता चलता है कि यह अभी भी जारी या अस्तित्व में है।

- पिछले कुछ दशकों में दवा निर्माण श्रृंखला में भारत के आगे बढ़ने का मतलब है कि उसे एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करना चाहिए जो नैदानिक दवा परीक्षण कर सके और जो स्वास्थ्य क्षेत्र में नए नैदानिक उपचार प्रणाली तैयार कर सके।
- सार्वजानिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जेनेरिक दवाओं का विकास हमेशा महंगा होगा और पश्चिम के देशों या यूरोपीय देशों तक ही सीमित रहेगा,।
- भारत को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में नए – नए और स्थायी अनुसंधान करने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि भारत में COVID-19 महामारी के दौरान टीके विकसित करने के लिए कई नवीन प्रौद्योगिकी दृष्टिकोणों के विकास में देखा गया था।
- भविष्य में आने वाली किसी भी महामारी के लिए तैयारी के तौर पर, भारत को भविष्य में स्थानीय दवा उद्योग को विकसित करने के लिए मौलिक अनुसंधान में काफी अधिक निवेश करना चाहिए। जिससे भारत जेनेरिक दवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आत्मनिर्भर देश बन सके ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में स्वास्थ्य सेवा संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है ?

(A)यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

(B) यह भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

(C) यह भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची की संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

(D) यह भारत के संविधान की प्रस्तावना के तहत मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

उत्तर – A

व्याख्या :

- भारत के संविधान में मुख्य रूप से तीन सूची होती है। वे हैं – राज्य सूची , समवर्ती सूची और संघ सूची।
- राज्य सूची – इसमें वे विषय शामिल हैं जिनके तहत केवल संबंधित राज्य सरकार ही कानून बना सकता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पतालों और औषधालयों को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। **अतः विकल्प A सही उत्तर है ।**

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त खामियों को रेखांकित करते हुए यह व्याख्या कीजिए कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में जेनेरिक दवाओं और नए अनुसंधान प्रणालियों को विकसित करने में और अधिक निवेश करने की जरूरत क्यों है ?